खण्ड-236, अंक-6
बुधवार, 2 कार्तिक, शक संवत् 1884
(24 अक्टूबर, 1962 ई0)

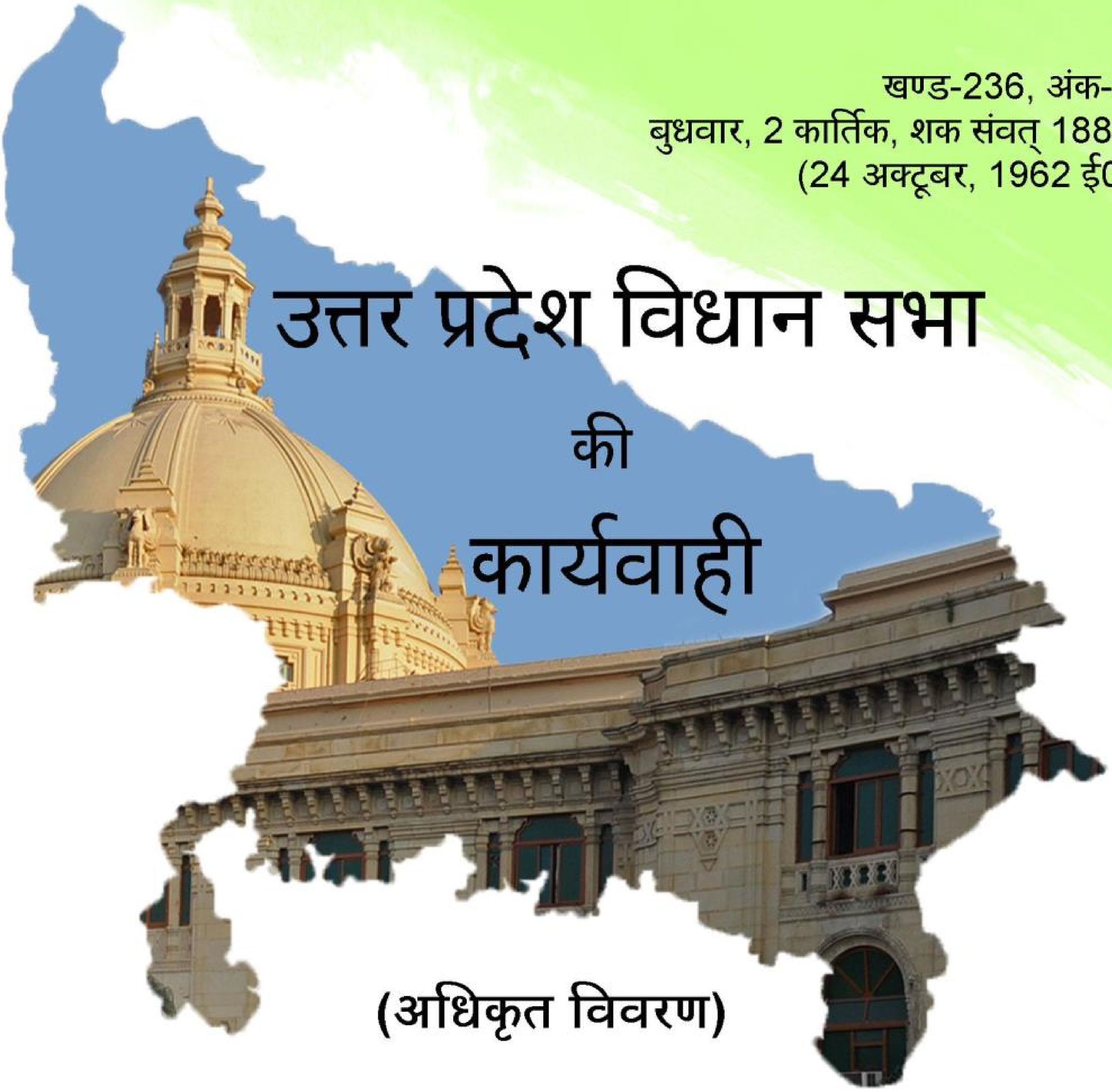

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 236 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५९१–५९५
प्रश्नों के स्थगन पर खेद	५९५–५९६
प्रश्नोत्तर (जारी)	५९६–६०४
तारांकित प्रश्न २९ के सम्बन्ध में जानकारी	६०४
प्रश्नोत्तर	६०४–६०७
तारांकित प्रश्न २९ के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण..	६०७
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति (जारी)	६०७–६०८
विधान भवन में जलपान-गृह का धुआं	६०८
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति	६०९
श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव (वापस लिया गया)	६०९–६११
श्री उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव (जारी)	६११–६१२
जनसंघ सत्याग्रहियों की रिहाई	६१३
सदन का भावी कार्यक्रम	६१३–६१४
श्री उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव (प्रस्तुत नहीं किया गया) ..	६१४–६१६
महापालिका तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन का तथा उसमें सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विनियमन करने वाली नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किया गया) ..	६१६–६१७
पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किया गया) ..	६१७
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कठिनाइयों को दूर करने का) (प्रथम) आदेश, १९६२ (उपस्थापित किया गया) ..	६१७
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (गांव पंचायतों तथा क्षेत्र समितियों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण) नियमावली, १९६२ (उपस्थापित की गयी) ..	६१७
गोरखपुर गोली कांड के सम्बन्ध में चर्चा उठाने हेतु नियम५३ के अन्तर्गत सूचना (जारी)	६१७–६१८
बाढ़ के सम्बन्ध में श्री चन्द्रबली सिंह की नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचना	६१८
फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील कार्यालय में प्रजा समाजवादी दल के कार्यकर्ता को पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	६१८–६१९
श्री ब्रह्मदत्त मायर का सैनिक सहायता कोष में अपने वेतन के समर्पण के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल को पत्र	६१९
डाक्टर अवधेश कुमार सिन्हा, सदस्य, विधान सभा, के पुलिस तथा गुंडों द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	६१९–६२०

अविभाजित सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	६२०
गोरखपुर गोलीकांड के सम्बन्ध में चर्चा उठाने हेतु नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना	६२१–६२५
निलम्बित सदस्यों के निलम्बन को समाप्त करने की प्रार्थना ..	६२५–६२६
गोरखपुर गोलीकांड के अभिसूचित विषय पर नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा न होना	६२६–६३३
रामपुर इंजीनियरिंग कम्पनी के कुछ मजदूरों की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में श्रम उपमंत्री का वक्तव्य	६३३–६३४
चीन द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (जारी) ..	६३४–६४०
लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट तथा मद्यनिषेध बोर्ड के निर्वाचन-कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना	६४०
चीन द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	६४०
नत्थी	६४१

विधान सभा पुस्तकालय

विधान सभा
मध्य प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २४ अक्तूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अधिष्ठाता श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७८

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रताप सिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छेटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री

रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शन्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री

शुभनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा लघु उद्योग उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नों के स्थगन पर खेद

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न संख्या १–२ (नत्थी क) के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने यह आज्ञा दी थी कि आज इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जायेगा, लेकिन किसी गलती से यह प्रश्न स्थगित हो गये हैं, इसका मुझे खेद है और मैं यह व्यवस्था करता हूं कि कल, किसी भी दशा में, माननीय वित्त मंत्री इसका उत्तर अवश्य देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं निवेदन कर दूं कि इस सम्बन्ध में दफा ५२ के अन्तर्गत प्रश्न उठाया गया था सितम्बर में और माननीय अध्यक्ष ने यह आज्ञा दी थी कि इस पर प्रश्न दे दिये जायं, उसका उत्तर ३ अक्तूबर को अवश्य मिल जायेगा। ३ अक्तूबर को नहीं आया। फिर जब प्रश्न किया गया तो आश्वासन दिया गया कि इस तिथि को जरूर आयेगा। उस तिथि को भी नहीं आया तो आज की तिथि रखी गयी थी। अब आप दफा ५२ के अन्तर्गत इसे स्वीकार कर के कल इसको ले लें।

श्री अधिष्ठाता—मैंने स्वयं इसको देखा। वास्तव में किसी गलतफहमी के कारण माननीय अध्यक्ष की आज्ञा नहीं देखी गयी और सरकार को एक सप्ताह का समय दे दिया गया, यह अनुचित था, इसके लिये मैंने खेद प्रकट कर दिया है। मैंने अब व्यवस्था कर दी है कि कल कैसी भी स्थिति हो, इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य आ जाना चाहिये। कल उत्तर अवश्य आ जायेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—सवाल के रूप में जो उत्तर आयेगा वह विस्तृत नहीं होगा और अगर कल माननीय दीपनारायणसिंह जी नहीं हुए तो इस पर सप्लीमेंटरी भी नहीं हो सकते। इसलिये इसमें दो तीन माननीय सदस्यों के नाम और बढ़ा दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—मैं यह व्यवस्था किये देता हूं कि इस प्रश्न में आपका नाम भी एड कर दिया जाय, कल आप प्रश्न कर लें।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २४ अक्तूबर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

*१-२—**श्री दीपनारायण सिंह** (जिला फतेहपुर) [१ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

[२४ अक्तूबर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—[७ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*२-४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[७ नवम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

तहसील निघासन से बिक्री-कर की वसूली

*५—**श्री रामचरण शाह** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष सन् १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में सरकार को तहसील निघासन (खीरी) से सेल्स टैक्स के रूप में कितना धन प्राप्त हुआ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—वित्तीय वर्ष सन् १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में सरकार को तहसील निघासन, जिला खीरी, से बिक्री-कर के रूप में निम्नांकित धन प्राप्त हुआ—

	रु०
१९५९-६०	२,१०,७१४
१९६०-६१	२,१४,१७१
१९६१-६२	२,५०,७९०

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में कितना धन और कितना बिक्री-कर शेष रह गया है जो सरकार को वसूल करना है?

श्री जयराम वर्मा—३१ मार्च, १९५९ को १,८२,१७१ रु०; ३१ मार्च, १९६० को १,९०,२४५ रु०; ३१ मार्च, १९६१ को १,९३,८९१ रु० और ३१ मार्च, १९६२ को २,४४,२४२ रुपया शेष था।

नोट—तारांकित प्रश्न ५ श्री हिम्मतसिंह ने पूछा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—जो सेल्स टैक्स बाकी है इसका ज्यादा असर तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन पर पड़ेगा तो ५९ से ६२ तक तीन साल हो गये अभी तक सेल्स टैक्स वसूल न होने का क्या कारण है?

श्री जयराम वर्मा—प्रयत्न किया जा रहा है कि तेजी से वसूल हो।

श्री हिम्मतसिंह—इस वसूली के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री जयराम वर्मा—वसूली के लिये सर्टिफिकेट जारी किये जाते हैं और हर तरह से कोशिश की जाती है कि रुपया मिल जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—कानपुर में १,७५,००० रुपये सेल्स टैक्स का बकाया है लेकिन १६ लाख ही वसूल हुआ है, तो क्या यह नतीजा नहीं निकलता कि वसूलयाबी बहुत कम हो रही है?

श्री अधिष्ठाता—यह प्रश्न खीरी से सम्बन्ध रखता है।

श्री ऊदल—जो बिक्रीकर की बकाया रकम है इस साल की, उसमें से बहुत कम वसूल हुआ है। उसे वसूल करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री जयराम वर्मा—यह खयाल कि वसूली बहुत कम होती है, सही नहीं है। काफी वसूली हो रही है। जहां इतनी रकम है सेल्स टैक्स की उसमें थोड़ी सी रकम बकाया रह जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और जो बकाया रकम है उसकी वसूली के लिये हर तरह से कोशिश की जायगी।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो यह रकम बाकी है और जिसके लिये सर्टिफिकेट इश्यू किये गये तो सर्टिफिकेट इश्यू करने के बाद कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी, अटैचमेन्ट हुआ या किस नतीजे पर मंत्री जी पहुंचे हैं?

श्री जयराम वर्मा—क्या क्या कार्यवाही की गयी यह तफसील से बताने के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी अब निश्चित तरीके से यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित होने के बीच में ही रकम वसूल हो जायगी, इसके लिये समय निश्चित करने की कृपा करेंगे?

श्री अधिष्ठाता—बता तो दिया उन्होंने।

श्री ऊदल—इस तहसील में जिसका यह जिक्र है जो रुपया नहीं वसूल हुआ टाइम के अन्दर उसके संबंध में सर्टिफिकेट जारी करने के बाद क्या किसी के खिलाफ वारंट या कुर्की कोई इस तरह की कार्यवाही की गयी?

श्री जयराम वर्मा—कुर्की वगैरह के बारे में सूचना देने के लिये तो सूचना की आवश्यकता है। मैं यह बता दूं कि बहुत सा रुपया तो जज, रिवीजन के स्टे आर्डर की वजह से रुक जाता है, बहुत सी रकमों में किस्त हो जाती है। इसमें वह रकमें भी शामिल हैं इसलिये रकम ज्यादा मालूम पड़ती है।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कान्सीक्वेंट अथारिटी ने इस रकम में से कितनी माफ कर दी या स्थगित कर दी?

श्री जयराम वर्मा—इसकी सूचना की आवश्यकता है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—मंत्री जी ने अभी यह कहा कि ऐसा नहीं है कि सेल्स टैक्स कम वसूल हो रहा है। अभी १०–१५ दिन पहले पांच बड़े शहरों का नाम लेते हुए कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और गाजियाबाद के बारे में मंत्री जी ने बताया था कि जहां लाखों का बकाया है वहां हजारों में और जहां करोड़ों का बकाया है वहां लाखों में रकम वसूल हुई है। कानपुर में ५ करोड़ से कुछ ज्यादा रकम बाकी थी और अब भी ३ करोड़ ७५ लाख की रकम बाकी है। तो इसका क्या कारण है और फिर मंत्री जी कैसे कहते हैं कि ज्यादा वसूली हो रही है?

श्री अधिष्ठाता—यह प्रश्न तो केवल खीरी के बारे में है।

*६–८—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—[७ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

हेल्थ आफिसर, एटा का फर्जी बिल

*९—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सत्य है कि एटा जिले के हेल्थ आफिसर ने मैनपुरी जिले से बस्ती जिले के ट्रान्सफर के समय कोई फर्जी टी० ए० बिल दिया था और उसकी जांच पब्लिक हेल्थ के असिस्टेंट डायरेक्टर थर्ड रेन्ज, आगरा ने की थी?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—ऐसी शिकायत आई थी। जांच के बाद चार्जशीट लगा दी गई है।

*१०—श्री गणेशचन्द्र काछी—यदि हां, तो इस मामले में क्या हो रहा है?

श्री धर्मसिंह—नियमानुसार चार्ज लगाने के बाद की कार्यवाही हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह कितने रुपये का फर्जी बिल था और किस सन् का?

श्री धर्मसिंह—यह तो सन् ५९ से चल रहा है, रुपये के बारे में डेफिनिट नहीं बता सकता, लेकिन दो तीन रकमें हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या किसी उच्च अधिकारी द्वारा इसकी जांच करायी गयी? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

श्री धर्मसिंह—उस वक्त से लेकर अब तक जांच होती रही है, बयान आन दि स्पाट लेने पड़े हैं, जांच चारों तरफ से हुई और उसके बाद चार्ज शीट लगायी गयी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जो दो तीन मदें माननीय मंत्री जी ने बतायी हैं, वह कितने कितने रुपये की हैं और कौन-कौन सी हैं?

श्री धर्मसिंह—मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता, क्योंकि जांच हो रही है। रकमें घटबढ़ भी सकती हैं, लेकिन एक ३३० की है, एक २१७ रुपये की है, एक ७७६ रुपये की है। अब तक की जांच से पता चला। इनमें कमी बढ़ोत्तरी भी हो सकती है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—जांच कब तक समाप्त हो जायेगी?

श्री धर्मसिंह—शीघ्रातिशीघ्र इसकी कोशिश की जा रही है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक की जांच के फलस्वरूप सरकार ने उस हैल्थ अफसर के विरुद्ध सस्पैंशन की या कोई और कार्यवाही की।

श्री धर्मसिंह—चार्ज शीट लग गई है, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया है और जांच अभी जारी है। मैंने पहले भी निवेदन कर दिया था।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जो एमाउन्ट हैं उसके बारे में आडिट रिपोर्ट के बाद कोई रिपोर्ट थाने में की गई? यदि हां, तो उसके बारे में क्या हो रहा है?

श्री धर्मसिंह—थाने की रिपोर्ट का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जांच हो जाने पर नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री चिरंजीलाल जाटव—सरकारी कर्मचारियों का तबादला होने पर टी० ए० मिलता है या नहीं? यदि हां, तो क्या प्रश्न ९ में दर्ज बिल इसी संबंध में था?

श्री धर्मसिंह—टी० ए० तो मिलता है रूल्स के मुताबिक।

*११-१२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—[७ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३-१४—डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—[७ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५-१७—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—[७ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१८-२०—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—[७ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२१-२२—श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)—[७ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

फाइलेरिया विभाग, वाराणसी, के कर्मचारियों का वेतन तथा महंगाई भत्ता

*२३—श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी) तथा श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के फाइलेरिया विभाग में कुल कितने कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं तथा उनका वेतन-क्रम क्या है?

श्री धर्मसिंह—वाराणसी जिले के फाइलेरिया विभाग में इस समय कुल ५६ कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं और इनके वेतन-क्रम की तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६४१ पर।)

२४—श्री गिरधारीलाल तथा श्री रामलखन वकील—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त विभाग में कार्य करने वाले फील्ड वर्कर तथा अन्य कर्मचारियों को ४-५ वर्ष कार्य करते हो गये परन्तु उन्हें कोई महंगाई का भत्ता नहीं दिया जाता? यदि हां, तो क्यों?

श्री धर्मसिंह—इस विभाग के केवल सुपीरियर फील्ड वर्कर और फील्ड वर्कर्स को महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता क्योंकि इनको वेतन दैनिक मजदूरी के दर से दिया जाता है और दैनिक मजदूरी वाले महंगाई भत्ते के अधिकारी नहीं हैं। अन्य सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है।

*२५—श्री गिरधारीलाल तथा श्री रामलखन वकील—क्या यह सत्य है कि उस विभाग के कर्मचारियों को ४–५ वर्ष की सर्विस के बाद भी दैनिक मजदूरी के हिसाब से वेतन भुगतान होता है और रविवार तथा अन्य सरकारी छुट्टियों का भी वेतन नहीं मिलता ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। इस योजना के अन्तर्गत कुछ कर्मचारियों को दैनिक मजदूरी पर ही रखा जाता है। अतएव उनको छुट्टियों में मजदूरी देने का प्रश्न नहीं उठता ?

श्री गिरधारीलाल—इन कर्मचारियों में हरिजनों की संख्या कितनी है और वे किन किन पदों पर हैं ?

श्री धर्मसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामायणराय—४, ४ और ५,५ साल से बराबर फील्ड वर्कर्स को दैनिक मजदूरी पर रखने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—वह स्कीम ही इस प्रकार की है कि उसमें डेफिनिट है कि प्रति दिन मजदूरी पर लोग रखे जावेंगे।

श्री रामलखन वकील—क्या इनको रैग्यूलर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं। इनका वेतन कंटिजेंसी से दिया जाता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—किन कारणों से यह महंगाई भत्ता इन कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है जो अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को दिया जाता है, चाहे वे किसी भी ग्रेड में काम करते हों ?

श्री धर्मसिंह—इस स्कीम में प्रतिदिन काम करने वाले हैं, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामायणराय—इस विभाग के समाप्त होने पर बहुत से कर्मचारी ओवर ऐज हो जावेंगे इसलिये कि उन्हें आगे सेवा करने का अवसर मिल सके, इसके लिये सरकार क्या सोच रही है ?

श्री धर्मसिंह—यदि यह स्कीम समाप्त होती है तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी टैक्नीकल स्कीम्स लागू हो जाया करती हैं। इसी प्रकार से डेली वेजेज पर पी० डब्लू० डी० और इर्रीगेशन में भी हैं और दूसरे विभागों में भी हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इन कार्यकर्त्ताओं को प्रतिदिन क्या मजदूरी मिलती है ?

श्री धर्मसिंह—संलग्न तालिका के हिसाब से सुपीरियर फील्ड वर्कर्स को २ रुपये और फील्ड वर्कर्स को १।। रुपया प्रति दिन के हिसाब से मिलता है।

श्री कल्पनाथसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न फाइलेरिया यूनिटों में विभिन्न प्रकार की मजदूरी फील्ड वर्कर्स को दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—डेली वेजेज वहां की लोकल कंडीशन्स पर निर्भर करती हैं। दूसरी जगहों की मुझे इत्तला नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—सामानों की महंगाई आदि का खयाल करते हुए १।। और २ रुपया मजदूरी बहुत कम है, क्या सरकार उनकी वृद्धि करने पर विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन्हें दैनिक मजदूरी दी जाती है उनका सैलेक्शन किस सरकारी अधिकारी द्वारा होता है ?

श्री धर्मसिंह—जब स्कीम आरम्भ होती है तो लोकली उनका प्रबन्ध कर लिया जाता है ।

श्री रामलखन वकील—इन फील्ड वर्कर्स से क्या काम लिया जाता है ?

श्री धर्मसिंह—फाइलेरिया से संबंधित जो भी काम होता है वह लिया जाता है ।

बहीखाते छिपाने की सेल्स टैक्स आफिसर, मैनपुरी की शिकायत

*२६—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सन् १९६१-६२ ई० में मैनपुरी के सैल्स टैक्स आफीसर ने ऐसी रिपोर्ट सेल्स टैक्स कमिश्नर व सरकार के पास किन-किन की भेजी है कि उन्होंने बही खाते सेल्स टैक्स लगाने के लिये नहीं दिखलाये और सैल टैक्स आफिसर से झगड़ा किया है ?

श्री जयराम वर्मा—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२७—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सेल्स टैक्स आफीसर मैनपुरी ने सन् १९६१-६२ ई० में किन किन फर्मों के छुपे बही-खाते पकड़े हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जयराम वर्मा—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—माननीय मंत्री बतलावेंगे कि जिन्होंने सेल्स टैक्स अफसर को खाता दिखाने से इन्कार कर दिया इस समय तक सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री जयराम वर्मा—सूचना आने पर ही निश्चित उत्तर दिया जा सकेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—एक महीने से ज्यादा हो गया, इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री जयराम वर्मा—यह ख्याल कि १ महीने से ज्यादा हो गया है, सही नहीं है । १० तारीख के बाद यह प्रश्न गया है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—सेल्स टैक्स के मुकदमों में आम तौर से यह शिकायत है कि तारीखें ज्यादा बढ़ाते हैं, तो क्या सरकार जल्दी मुकदमें तय करने के आदेश देगी ?

श्री जयराम वर्मा—यह हिदायत है ही कि सावधानी से जल्दी फैसले हों, देर न हो ।

कोंच, जिला जालौन, में बिक्रीकर के अनिर्णीत मुकदमे

*२८—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले के कोंच शहर में जनवरी, १९६० से अगस्त, १९६२ तक कितने सेल्स टैक्स के मुकदमें अभी अनिर्णीत हैं और कितनी धनराशि के हैं ?

श्री जयराम वर्मा—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री विजयसिंह—यह सूचना हमें कब तक प्राप्त हो जायगी ?

श्री जयराम वर्मा—अगली बार जब प्रश्न आवेगा उस वक्त सूचना मिल जायगी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—यह देखते हुए कि देर करने के लिये ये मुकदमें दायर किये गये हैं और तीसरी योजना के लिये पैसा चाहिये, क्या सरकार इनके फैसलें का जल्द होने की कोई विशेष व्यवस्था करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—मुकदमों का जल्द फैसला हो, इसी दृष्टि से जज अपील्स की संख्या बढ़ाई गई थी और ऐक्ट में संशोधन करके जज रिवीजन की संख्या भी बढ़ाई जाने का अधिकार लिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न २८ के उत्तर में कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिये । इसमें इतना समय जो मांगा गया है, बहुत है और इसमें उत्तर आ सकता था । भविष्य में इस बात का प्रयत्न हो कि यह उत्तर जल्दी आ जावे । एक जगह से केवल सूचना प्राप्त करने का सवाल है, जो टेलीफोन से भी किया जा सकता है ।

वन विभाग को पेड़ों की नीलामी से प्राप्त बिक्री-कर

*२९—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग द्वारा जो नीलाम पेड़ों का किया गया है उस पर सेल्स टैक्स की क्या दर है और जब से यह टैक्स लगा है तब से जुलाई, १९६२ तक सरकार को क्या आमदनी इस टैक्स के द्वारा हुई ?

श्री जयराम वर्मा—सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-३३९३/१०—१०१२-६२ दिनांक १ जुलाई, १९६२ के अनुसार इमारती लकड़ी, बांस और उनसे बनी हुई वस्तुओं पर बिक्री-कर की दर १ जुलाई, १९६२ से ३ प्रतिशत बहुसूत्रीय कर दी गई है । इनके अतिरिक्त अन्य पेड़ों पर कर की दर २ प्रतिशत बहुसूत्रीय है । जहां तक सभी सरकारी जंगली पेड़ों से बिक्री-कर के रूप में हुई आय का संबंध है, सूचना बिक्री-कर अधिकारियों से एकत्र की जा रही है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई, १९६२ से पहले यहां एक सूत्री कर की व्यवस्था थी ?

श्री जयराम वर्मा—पहले भी बहुसूत्री कर की व्यवस्था थी ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सरकारी पेड़ों के नीलाम वगैरह होते हैं उन पर कोई बिक्री-कर न लिया जाया करे, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं, ऐसी व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं है । पहले तो ऐसा था कि सरकारी विभागों को उक्त कर से मुक्त रखा गया था लेकिन १ मई, १९६२ से उस आदेश को वापस ले लिया गया है और अब सरकारी विभागों से भी बिक्री-कर लिया जाता है ।

नगरों की कृषि भूमि की मकानों के लिए अध्याप्ति

*३०—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के सामने जो Land Acquisition Bill है उसको ध्यान में रखते हुए अपने प्रान्त के नगर क्षेत्रों में खेती वाली जमीनों को Housing Co-operative Societies के नाम पर लिया जाना बन्द करेगी और जो ऐसे cases विचाराधीन हैं उन पर कार्यवाही बन्द करने के आदेश जारी करेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—यह बिल पारित हो चुका है और अधिनियम बन गया है । इस अधिनियम में नगर क्षेत्रों में खेती वाली जमीनों

को लेने अथवा न लेने का कोई जिक्र नहीं है। अतः हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी के लिये जमीनों का लिया जाना बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—जिस बिल का जिक्र अभी माननीय मन्त्री जी ने किया है जिसे केन्द्रीय सरकार ने पास किया है, उस बिल में खेतिहर मजदूरों का जिक्र है और खास तौर पर न तो गाँव के खेतिहारों का जिक्र है और न खेती वाली जमीन का जिक्र है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी इस पर भी ध्यान करेंगे कि शहरों के अन्दर बहुत सी जमीन कोआपरेटिव सोसाइटी के नाम पर थोड़े दामों में खरीद कर बहुत ऊंचे दामों में बेची जाती है, तो इस से लोगों को बचाने की तरफ ध्यान देंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं समझा नहीं कि माननीय सदस्य चाहते क्या हैं। क्या उस ऐक्ट को बदल दिया जाय ? अगर उस ऐक्ट में जमीन लेने का प्राविधान है तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—कृपा कर अपने प्रश्न को दोहरा दें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—इस उत्तर में यह दिया गया है कि उस बिल में नगरों की खेती वाली जमीन का कोई जिक्र नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि न तो उसमें नगरों की जमीनों का जिक्र है, न किसी दूसरी जमीन का जिक्र है, सिर्फ खेती वाली जमीनों का जिक्र है। उसको ध्यान में रखते हुए शहरों के अन्दर जो खेती वाली जमीनें हैं उनको कोआपरेटिव सोसाइटी का नाम देकर सस्ते दामों में खरीदा जाता है और....

श्री अधिष्ठाता—यह तो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रश्न पूछें। वह कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, आप और तरीके से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था को रोकने के लिये कि नगरों की खेती वाली जमीन हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिये ली जाती है, कोई प्रबन्ध करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—माननीय सदस्य का जो प्रश्न था वह लैंड एक्वीजीशन बिल के बारे में था, उसके अन्दर कोई जिक्र इस बात का नहीं है कि ऐसी जमीन ली जायगी ऐसी नहीं ली जायगी, जबतक वह ऐक्ट है तबतक हम कानूनी तरीके से तो रोक नहीं सकते बाकी जहाँ तक अपने डिस्क्रीशन से थोड़ी बहुत हम 'हाँ' 'नहीं' कर सकते हैं उस के अनुसार हम, जो उचित होता है निर्णय लेते हैं। बाकी मकान तो बनेंगे उस की सीमा है जहाँ तक सरकार कर सकती है करेगी।

श्री ऊदल—क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इस बिल को इस लिये पास नहीं किया है बल्कि प्रदेश की सरकार के आग्रह पर पास किया है क्योंकि श्री अरोरा के केस में सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हार गई थी इसलिये सरकार ने सेण्टर से कह कर इसको पास कराया है क्या इस का मन्त्री जी को जानकारी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझको व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, अगर वह सूचना देंगे तो पता चलाया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या मन्त्री जी इस प्रश्न पर पुनः विचार करेंगे कि जो जमीन शहरी क्षेत्र में ऐसी है जिस पर खेती होती है और साग-सब्जी पैदा होती है जोकि शहर के शहरियों के लिये बहुत ही जरूरी है, वह जमीन अगर लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के द्वारा हाउसिंग सोसाइटी के लिये ली जाती है तो क्या वह ऐसे आदेश नगरपालिकाओं को देंगे कि ऐसी जमीन जिससे शहर के लोगों को साग-सब्जी और फल प्राप्त होते हैं उसकी उपयोगिता को देखते हुए वह जमीन न ली जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं तो निवेदन कर चुका कि सरकार ऐसा दृष्टिकोण भी रखता है।

तारांकित प्रश्न २९ के सम्बन्ध में जानकारी

श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर)—अभी माननीय वित्त मन्त्री ने हिम्मतसिंह के प्रश्नों के उत्तर में कहा जब सप्लीमेंटरी पूछे गये कि क्या पहले एक सूत्री थी, उन्होंने कहा कि पहले से बहुसूत्री थी लेकिन उत्तर जो दिया गया है उसे देखें और सुनें कि कैसा दोनों में विरोधाभास है "सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-३३९३/१०—१०१२-१९६२, दिनांक १ जुलाई, १९६२ के अनुसार इमारती लकड़ी, बाँस और उनसे बनी हुई वस्तुओं पर बिक्री-कर की दर १ जुलाई, १९६२, से ३ प्रतिशत बहुसूत्री कर दी गयी है।" इसके मानी यह हैं कि पहले बहुसूत्री नहीं रही होगी, एक सूत्री रही होगी, लेकिन सप्लीमेंट्री हुआ तो मन्त्री महोदय ने कहा कि पहले से बहुसूत्री थी?

श्री अधिष्ठाता—मैं इसका स्पष्टीकरण करा दूंगा। कदाचित् आप इस इम्प्रेशन में होंगे कि प्रश्न समाप्त हो गये। प्रश्नों की समाप्ति के बाद ऐसा प्रश्न उठाया जा सकता है। अभी दो, तीन प्रश्न और हैं, पहले उन्हें ले लूं।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

*३१-३२—श्री दीपनारायणसिंह—[नियम ३९ (२) में प्रश्न १-२ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।]

तहवीलदारों को वेतन-वृद्धि न मिलना

*३३—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९६२ से कुछ कर्मचारियों के वेतन में ५ रु० मासिक वेतन-वृद्धि की गई है फिर भी तहवीलदार वर्ग को इस सुविधा से पृथक रक्खा गया है? इसका क्या कारण है?

श्री जयराम वर्मा—सरकार ने १ जनवरी, १९६२ से ५ रु० प्रति मास वेतन की वृद्धि, २४९ रु० तक प्रति मास वेतन पाने वाले केवल सरकारी कर्मचारियों के लिये की है। चूंकि तहवीलदार वर्ग सरकारी कर्मचारियों की कोटि में नहीं आता, अतः उपरोक्त सुविधा उनको नहीं मिलती।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन पदों के कर्मचारी हैं जिनको ५ रुपये महंगाई भत्ता दिया जाता है?

श्री जयराम शर्मा—२४९ रुपये तक वेतन पाने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को यह वेतन-वृद्धि दी गई है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मन्त्री जी इस बात पर पुनः विचार करने की कृपा करेंगे कि यह ५ रुपये का एलाउन्स ए क्लास के कर्मचारियों को दिया जा रहा है या बी क्लास के कर्मचारियों को दिया जा रहा है? जैसे तहसीलदार ए क्लास में आते हैं, तो क्या मन्त्री जी उनको भी यह एलाउन्स देने की कृपा करेंगे?

नोट—तारांकित प्रश्न ३३ श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा पूछा गया।

श्री अधिष्ठाता—पांडेय जी, यह शब्द तहवीलदार है।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, प्रश्नकर्ता का जैसा खयाल है, यह एलाउन्स नहीं है बल्कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई है जिनको २४९ रुपये तक वेतन मिलता है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि तहवीलदारों की ओर से माँग आई है कि उनको भी सरकारी कर्मचारी मान लिया जाय?

श्री जयराम वर्मा—इसकी निश्चित सूचना नहीं है। ऐसी माँग आ सकती है लेकिन उनको सरकारी कर्मचारी मानने का कोई विचार नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन तहवीलदारों को कितने रुपये मासिक सरकार वेतन देती है?

श्री जयराम वर्मा—वेतन-क्रम की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि एक रुपये से लेकर २४९ रुपये तक के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में ५ रुपये की वृद्धि की गई है तो ५ रुपये पाने वाले चौकीदारों के वेतन में यह वृद्धि क्यों नहीं की गई? इसका क्या कारण है?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, चौकीदार सरकारी कर्मचारी नहीं हैं जिस तरह के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मन्त्री जी को सूचना है कि एक केस दाखिल हुआ था इलेक्शन पेटीशन का शिब्बनलाल सक्सेना बरसेस हरिशंकर प्रसाद....

श्री अधिष्ठाता—प्रश्नों में सूचना देना वांछित नहीं है, अपेक्षित सूचना लेना है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मैं यही कह रहा हूं। श्रीमन्, इसमें चौकीदार सरकारी कर्मचारी माने गये और जुडीशियल कोर्ट ने यही होल्ड किया और इसके ऊपर इलेक्शन पेटीशन नल ऐंड वायड कर दिया गया है तो मन्त्री जी इस बात को सूचना मानकर कि चौकीदारों को सरकारी कर्मचारी माना गया है उनको यह एलाउन्स देने की कृपा करेंगे?

श्री अधिष्ठाता—यह प्रश्न केवल तहवीलदारों का है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मैं कह रहा हूं कि चौकीदारों के बारे में वक्तव्य दिया कि.....

श्री अधिष्ठाता—यह इससे नहीं उठता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि तहवीलदारों को तनख्वाह २४९ रुपये में आती है, तो उनके वेतन में यह वृद्धि करने की कृपा करेंगे?

श्री जयराम वर्मा—यह सुविधा केवल सरकारी कर्मचारियों को दी गई हैं। यहाँ तक कि लोकल बाडीज के कर्मचारियों को भी नहीं दी गई है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बतायेगी कि चौकीदार किस श्रेणी में सरकारी कर्मचारियों में आते हैं?

श्री अधिष्ठाता—चौकीदारों का प्रश्न नहीं है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—मन्त्री जी ने अभी यह कहा है कि लोकल बाडोज के कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं दी जाती है लेकिन मेरी जानकारी यह है कि लोकल बाडोज के कर्मचारियों को यह वृद्धि दी जाती है तो इनको वंचित क्यों रखा गया है?

श्री अधिष्ठाता—यहाँ पर सूचना देने का समय नहीं है। आपको जो भी जानकारी हो, वह अलग चीज है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह प्रश्न केवल तहवीलदारों के वेतन के सम्बन्ध में हमने आपकी आज्ञा से यहां किया था कि उनका वेतनक्रम क्या है। उसके सम्बन्ध में वित्त मन्त्री जी बता नहीं सके। तो मैं आपकी मदद चाहता हूं कि जरा उनको सलाह दे दीजिये कि जिससे प्रश्न का सम्बन्ध हो कम से कम उसके सम्बन्ध में तो जानकारी हासिल करके आना चाहिये। इस तरह से हाउस में सप्लीमेंट्री करने की पद्धति खत्म हो जायगी, जब मन्त्री कह देंगे कि उसके वेतन के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। इस प्रकार की सामग्री सदन में आनी चाहिये जिसके सम्बन्ध में सवाल किया गया है।

श्री अधिष्ठाता—केवल आपका प्रश्न जिसका निश्चित उत्तर नहीं दिय वह यह था कि निश्चित वेतन क्या है। वह उनको सूचना नहीं थी।

श्री चिरंजीलाल जाटव—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पांच रुपये जो अलाउन्स दिया गया है वह कुछ कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिला है और नहीं मिला है तो क्यों?

श्री जयराम वर्मा—सरकारी सभी कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि की सुविधा दी गयी। गैरसरकारी कर्मचारियों को नहीं दी गयी है।

श्री अधिष्ठाता—अब प्रश्न समाप्त होते हैं।

अतारांकित प्रश्न

१–३—**श्री सूरजपालसिंह** (जिला बदायूं)—[७ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

४–६—**श्री गिरजाप्रसाद** (जिला गोंडा)—[७ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

७—**श्री श्यामलाल** (जिला बस्ती)—[७ नवम्बर, १९६२ के लये स्थगित किया गया।]

८–१०—**श्री शराफत हुसैन रिजवी**—[७ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

११—१२—**श्री पूरनलाल**—[७ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बिक्री-कर से मुक्त दूकानदारों द्वारा बिक्री-कर वसूली की शिकायत

१३—**श्री गिरधारीलाल**—क्या सरकार को पता है कि प्रदेश में जिन दुकानों से सरकार बिक्री-कर वसूल नहीं करती उन दुकानों में भी खरीदारों से बिक्री-कर लिया जाता है? यदि हां, तो सरकार की ओर से क्या कोई ऐसा कदम उठाया जायगा जिससे वे दूकानदार खरीदारों से बिक्री-कर न वसूल कर सकें?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—इस सम्बन्ध में बिक्री-कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, से पूछ-तांछ की गई है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

वाराणसी जिले में बिक्री-कर की वसूली

१४—श्री गिरधारीलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ व १९६१-६२ में वाराणसी जिले से कितना बिक्री-कर वसूल हुआ और उक्त वर्षों के बिक्री-कर की कितनी रकम उक्त जिले में वसूल होने से अभी तक बाकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

१५-१६—श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—[७ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

तारांकित प्रश्न २९ के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री अधिष्ठाता—अभी माननीय नेता विरोधी दल ने प्रश्न २९ के विषय में ध्यान आकृष्ट किया था। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह प्रश्न २९ को देख लें और अपने उत्तर को फिर से जरा दोहराने की कृपा करें। आपने बताया कि १ जुलाई, १९६२ से पहले बहुसूत्रीय दर थी।

वित्त उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—श्रीमन्, सभी लकड़ी पर बिक्री-कर पहले से बहुसूत्रीय है। पहले वह दो प्रतिशत था। अब इमारती लकड़ी, बांस और उनसे बनी हुई चीजों पर २ प्रतिशत की जगह पर ३ प्रतिशत कर दिया गया है। अब ३ प्रतिशत बहुसूत्री है। इसमें शक की बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय नेता विरोधी दल को इस स्पष्टीकरण से संतोष हो गया होगा ? विरोधाभास केवल इसलिये मालूम हुआ कि जब इससे पहले भी बहुसूत्रीय था तो बहुसूत्रीय क्यों लिखा गया। केवल इसलिये लिखा गया कि इससे पहले २ प्रतिशत की अब ३ प्रतिशत दर हो गयी है। इसलिये दोहराना आवश्यक हो गया। विरोधाभास नहीं है।

श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर)—ठीक है, परन्तु यह दोष कांस्ट्रक्शन आफ सेंटेन्स का है। वही बात कही जा सकती थी जिससे इस प्रकार का भ्रम न हो।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—मैं एक निवेदन प्रश्नों के सम्बन्ध में करना चाहता हूं। आज नत्थी 'क' में केवल दो प्रश्न थे। नत्थी "ख" में ३३ और कुल तारांकित प्रश्न ३५ थे जिनमें से २३ स्थगित कर दिये गये। सिर्फ १२ तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। १६ सवाल अतारांकित कर दिये गये। नतीजा यह हुआ कि जब कि हाउस में आपने अभी सप्लीमेंट्री की भी समुचित सुविधा दी तो भी १५ मिनट अभी बाकी हैं सवालों का घंटा पूरा करने के लिये। मैं निवेदन करूंगा कि जब केवल ३५ तारांकित प्रश्न थे उनमें से २३ प्रश्न सरकार के जरिये से स्थगित करने की याचना किया जाना और आपके कार्यालय का स्थगित कर देना और १६ सवालों को अतारांकित कर देना जबकि अतारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में यह परिपाटी है कि जब तारांकित प्रश्न ज्यादा हो जायं तभी अतारांकित प्रश्न किये जा सकते हैं, उसकी भी अपेक्षा की गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को अतारांकित नहीं करना चाहिये। और दूसरा निवेदन, श्रीमन्, यह है कि मन्त्रियों के निवेदन पर सवालों को देकर के स्थगित करने का आदेश नहीं मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—हमारी प्रक्रिया नियमावली में प्राविजन है कि अगर सरकार किसी विशेष प्रश्न के लिये समय चाहे तो अध्यक्ष महोदय उसको समय देंगे और देते हैं। कहीं

[श्री अधिष्ठाता]

पर उस अधिकार का दुरुपयोग हो तो, विशेष रूप से ध्यान दिलाने पर, उसके लिये सरकार को आदेश दिया जा सकता है। आपको याद होगा, आज ही एक प्रश्न के संबंध में जो सेल्स टैक्स की सूचना संकलित करने के विषय में थी मैंने स्वयं बिना किसी माननीय सदस्य द्वारा ध्यान आकृष्ट किये हुये ही यह कहा कि इस सूचना को दिया जाना सम्भव था और इसके लिये समय मांगना उचित नहीं था। ऐसे प्रश्नों में सूचना देने का यत्न होना चाहिये और इतना ही मैं कहूंगा कि सरकार की तरफ से अवश्य यह यत्न होना चाहिये कि जिन सूचनाओं को दिया जा सकता है वह अविलम्ब दी जायं।

श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे दो प्रश्न १३ और १४ जिनकी स्वीकृति तारांकित प्रश्न करके हुई थी और जिनका उत्तर भी मुझे तारांकित प्रश्न करके दिया गया है, उन्हें अतारांकित कर दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनका उत्तर मुझे माननीय मन्त्री जी से दिलाने की कृपा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता---नियमों को अगर आप देखेंगे तो उसमें दिया है कि एक माननीय सदस्य एक समय में तीन प्रश्न कर सकते हैं। आपके तीन प्रश्न चूंकि हो चुके थे लिहाजा शेष प्रश्न अतारांकित कर दिये गये।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि यह जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोगों के द्वारा, उनका जवाब बहुत देर में आता है और कुछ दिनों के बाद वह अस्वीकृत हो जाता है। यह प्रश्न पूछा गया था १५-९-६२ को और करीब १ महीने १० दिन बाद अस्वीकृत होकर आज आया है....

श्री अधिष्ठाता---आप जरा सुन लें। जो आपको कठिनाई पड़ रही है वह स्वाभाविक है। लेकिन यह विस्तार की बातें हैं जो सेक्रटरिएट लेवेल पर हो सकती हैं, उनके लिये सदन का समय नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री छांगुर---जो प्रश्न अस्वीकृत होकर करीब डेढ़ महीने में आता है अगर वह स्वीकार किया जाय तो उसका जवाब कितने दिनों में आयेगा?

श्री अधिष्ठाता---मैं ऐसा समझता हूं कि एक-एक प्रश्न में क्यों विलम्ब हुआ, उसके लिये न सदन में डिस्कशन के लिये इजाजत दी जा सकती है और न वह उचित है। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक-एक प्रश्न में क्यों विलम्ब हुआ, उसके ऊपर सदन में विवाद नहीं किया जा सकता। उसमें सदन का अमूल्य समय नष्ट करना उचित न होगा। आपको कोई शिकायत है तो आप लिखकर भेजें, उस पर उचित व्यवस्था हो जायगी।

विधान भवन में जलपान गृह का धुआं

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)---मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां हाउस में बगल में जो होटल है, जब साढ़े दस बजे हम यहां आते हैं तो उस समय वहां अंगीठी सुलगायी जाती है जिसका धुआं चारों तरफ रास्ते में और यहां हाउस में भी आप देख रहे हैं, भर गया है, उसके लिये मैंने लिखकर भी सचिव को भेजा है। आपसे निवेदन है कि आप उसका समुचित प्रबन्ध कर दें....

श्री अधिष्ठाता---मैं आपको सूचना के लिये बता दूं कि इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। मैं आपका आभारी हूं कि इस तरफ आपने ध्यान आकृष्ट कर दिया।

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति (क्रमागत)

श्री सुल्तानसिंह (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न एन० आर० स्कूल टूंडला के लिये दिया था। उसमें यह लिखकर आ गया कि यह केन्द्रीय गवर्नमेंट के अधीन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि टूंडला के उस स्कूल को १४ हजार रुपया ग्रांट हम देते हैं और वह हमारे बोर्ड के अधीन भी है। हमारा इंसपेक्टर आफ स्कूल्स वहां जाकर उसका इंसपेक्शन भी करता है, लेकिन फिर भी मेरे प्रश्न पर यह लिखकर आ गया, कि यह केन्द्रीय गवर्नमेंट का प्रश्न है और यहां नहीं किया जा सकता.....

श्री अधिष्ठाता—आप जरा कृपया आसन ग्रहण करें। एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। किसी प्रश्न में हो सकता है कि कोई गलती भी हो जाय। एक प्रश्न अस्वीकृत नहीं होना चाहिये और वह अस्वीकृत हो जाय, ऐसा हो सकता है। तो अगर इस तरह के एक-एक प्रश्न के लिये सदन में ध्यान आकृष्ट करके उस पर वादविवाद हम करेंगे तो वह उचित न होगा। अगर आपको उससे असन्तोष है तो उसके लिये विधिवत् आप लिख कर आपत्ति कर दीजिये, उस पर विचार कर लिया जायगा।

अब प्रश्न समाप्त होते हैं।

श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव (क्रमागत)*

श्री अधिष्ठाता—कल माननीय नेता विरोधी दल इस विषय में कुछ कहना चाहते थे। आप संक्षेप में ही अपनी बात निवेदन कर दें।

श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे दो मिनट का समय दिया। कल सभी सदस्यों ने इधर से और उधर से ऐसा भाव प्रकट किया कि इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाय और इस पर वोटिंग न हो। मैं भी समझता हूं कि आज स्थिति यह है कि हमारे जो आपसी मतभेद हैं या आपसी विभाव हैं उनको हम दूर करें, यह आवश्यक है। यह आवश्यकता है कि हम आपस में एक सद्भावना का वातावरण निर्माण करें और इसी दृष्टि से मैं माननीय नेकराम जी से सारे सदस्यों की ओर से, और मैं समझता हूं कि सबकी यह भावना है और विशेष कर जनसंघ के दल के सदस्यों की ओर से, विनम्र निवेदन करूंगा कि वे अपने अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं, उसे वापस कर लें, ताकि इस सदन में एक सद्भावना का वातावरण बन सके।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि मेरे भाई राजा साहब जौनपुर ने जो सुझाव दिया है, मैं भी उससे पूर्णतः सहमत हूं। यह अवसर ऐसा है कि जिसमें हमें आपस में किसी प्रकार की कटुता की बात नहीं पैदा होनी करनी चाहिये, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये कि जिससे आपस में वैमनस्यता और मतभेद पैदा हो। इसलिये मैं नेकराम जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें। और जो अगला प्रस्ताव माननीय पांडेय जी ने रखा है उस के लिये भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वे उसे पेश करें ताकि एक सद्भावना का वातावरण यहां पैदा हो जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिये करता हूं कि आज सद्भावना की जरूरत है। अच्छी परम्परायें इस सदन में कायम करना जरूरी है। हाई ट्रेडीशन्स

---

*२३ अक्तूबर, १९६२ की कार्यवाही से।

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

को रखने की जरूरत है और उनको रखने के लिये जरूरी है कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद होने के बाद और आदरणीय सदस्यों की मनोभावना व्यक्त होने के बाद, इस प्रस्ताव को वापस कर लिया जाय। मैं इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर नहीं.....

श्री अधिष्ठाता--मैं केवल यह चाहता हूं कि आप केवल इसी पर सीमित रहिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--श्रीमन्, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक दूसरे प्रस्ताव का सम्बन्ध है, जो मैंने रखा है.....

श्री अधिष्ठाता--वह अभी पेश नहीं हुआ। उसके बारे में आप अभी कुछ न कहें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--तो मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--अधिष्ठाता महोदय, यह सचमुच बड़े दुख की बात थी कि माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध एक अविश्वास का प्रस्ताव आये। कुछ लोग असन्तुष्ट थे और वह असन्तोष किसी न किसी कारण से दोनों तरफ मालूम पड़ता था। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने अपने असन्तोष को यहां व्यक्त किया और यह सही है कि जब लोग अपना असन्तोष व्यक्त करते हैं तो हर आदमी उनका ध्यान रखता है और उनके कारणों को भी ढूंढने का प्रयास करता है। आशा है कि वह किया जायगा और यह भी आवश्यक है कि हम सदन में एक ऊंची परम्परा कायम रखें और आगे के लिये भी अच्छी परम्परा कायम करें ताकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरोध में कोई प्रस्ताव लाने का अवसर न आने पाये और इसलिये मैं नेकराम जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसको वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता--रामसुन्दर जी, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--अधिष्ठाता जी, मैं समझता हूं कि माननीय राघवेंद्रप्रताप जी और चन्द्रजीत जी ने हम लोगों के साथ ज्यादती की है यह कह कर कि कुछ लोगों के अन्दर भावना अध्यक्ष के खिलाफ थी। मैं इसको अपने ऊपर आक्षेप मानता हूं और चन्द्रजीत जी और राघवेंद्रप्रताप जी को इस प्रकार का आक्षेप नहीं करना चाहिये था।

श्रीमन्, हम लोग जो माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध रिमूवल का प्रस्ताव लाये, उसके लिये माफी दी जानी चाहिये। परन्तु यह सब की राय से लाया गया। यह और कहूंगा कि इस तरह से लोगों को अपनी बात नहीं बदलनी चाहिये थी। यह हाउस में जान बूझकर प्रस्ताव लाया गया। जो घटनायें सदन में घटी हैं, आप तो पुराने माननीय सदन के आदरणीय सदस्य हैं। उस प्रस्ताव का प्रभाव पड़े, केवल इसलिये यह प्रस्ताव लाया गया था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों की भावनाओं का प्रभाव सदन पर पड़ेगा और सम्भवतः अध्यक्ष जी पर भी पड़ेगा; इसलिये मैं माननीय नेकराम जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--श्रीमन्, कांग्रेस दल के नेताओं, माननीय मुख्य मन्त्री जी, त्रिपाठी जी, रावत जी, श्री बनारसीदास जी, शांति प्रपन्न शर्मा जी, श्री नेगी जी और श्री राममूर्ति जी, सबकी भी यह हार्दिक इच्छा थी। विरोधी दल के हमारे सभी नेताओं ने जिन्होंने यह कह दिया था और इसका भार मेरे ऊपर डाला था कि मैं इसको प्रस्तुत करूं, २-१ कारण थे और भी काफी कारण थे जिससे यह प्रस्ताव हमको प्रस्तुत करना पड़ा। यहां पर सरकार के विरुद्ध भी अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा चुका है। मैं सभी नेताओं का वास्तव में आभारी हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय से हम यह आशा रखते हैं कि वह सदन में भी मर्यादाओं और परम्पराओं का खयाल रखते हुये और बिलकुल निष्पक्ष होकर

कार्य करेंगे, न कि सरकार के स्पोक्समैन की हैसियत से। मुझे यही उम्मीद है और भविष्य में भी यही उम्मीद करूंगा।

जो यह प्रस्ताव है, उसके बारे में अन्त में मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस दल की तरफ से और विरोधी दल के नेताओं का आदेश मानते हुये जो मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, अब मैं आपकी आज्ञा से और सदन के सभी नेताओं की आज्ञा से इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि ....

श्री अधिष्ठाता—एक बात मैं जरा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कल ऐसा इम्प्रेशन था कि कदाचित यह दोनों ही संकल्प वापस हो जायेंगे, तो आप यह स्पष्ट करें कि आप यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं या वापस ले रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, कल की जो भावना थी और जिस पर प्रस्ताव चल रहा था, उसके ऊपर नेताओं ने बैठकर और अपनी मीटिंग में जो निश्चय किया वह निश्चय आदरणीय सदन के सामने है परन्तु उपाध्यक्ष के प्रस्ताव के बारे में मुझे इजाजत नहीं मिली है। सारे सदस्यों और नेताओं ने इसके बारे में मुझसे राय जाहिर की थी। इसलिये मैं इसको पेश कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—जो नियम है, उसके अनुसार आपको पूर्ण अधिकार है कि आप इस को प्रस्तुत करें। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं पूर्णतया आपके अधिकार को सुरक्षित रखते हुये चलूंगा। लेकिन मैं यह अवश्य चाहूंगा कि सदन का समय न लगे और वह बेकार न जाय। साथ ही साथ जो परम्परायें बनाई जा रही हैं और वातावरण तैयार किया जा रहा है उसको देखते हुये आप कोई निश्चय कर लें। यदि आप उसको चलाना अनिवार्य समझते हैं और उसके लिये कुछ विचार रखते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, अधिष्ठाता महोदय, आपकी बातें शिरोधार्य जरूर हैं, लेकिन मुसीबत है कि हमने नेताओं की राय नहीं ली है और यह नेताओं की राय से विवाद प्रस्तुत किया गया है। मैं चाहता हूं कि जो भावनायें माननीय सदस्यों की हैं उनको हम इस सदन में ठीक तरीके से पेश करें। फिर जैसी परिस्थिति होगी, व सबका विचार सुनने के बाद मैं निश्चय करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिये।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो सवाल उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में दरपेश है, माननीय पांडेय जी इस बात पर तैयार हैं कि उसे पेश करना चाहिये। कल से आज तक हमारे बहुत से मित्रों ने एक अच्छा वायुमण्डल पैदा करने के लिये बड़ा प्रयास किया। नेता विरोधीदल, स्वतन्त्र पार्टी के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने माननीय नेकराम से आग्रह किया कि एक स्वस्थ परम्परा कायम करनी चाहिये और यह प्रस्ताव वापस लेना चाहिये। लेकिन अगर यह दूसरा प्रस्ताव आता है और उस पर वाद-विवाद होता है तो हमारे उद्देश्य को ठेस पहुंचने का खतरा है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे वह साथी जो उस तरफ बैठे हैं, जिन्होंने पहले प्रस्ताव को वापस कराया है, उन का कर्तव्य हो जाता है कि वह माननीय पांडेय जी को भी परसुएड करें ताकि ऐसी बातें फिर पैदा न हों।

श्री अधिष्ठाता—एक बात और आपसे कहूं, अगर सदन की इच्छा होती है तो मेरा भी यह कर्तव्य है कि मैं उसकी पूर्ति में सहायक हो सकूं। तो अगर कोई विचार-विमर्श करना

[श्री अधिष्ठाता]

आवश्यक समझा जाता हो तो मैं १५ मिनट तक के लिये सदन को एडर्जन कर सकता हूं, उसके बाद दोबारा बैठा जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—कुछ आदरणीय सदस्यों की काफी भावनायें हैं, मेरी भी जिम्मेदारी है मूवर के नाते कि मैं उन भावनाओं को व्यक्त होने दूं, फिर जैसा हम निश्चय करेंगे, जसी आदरणीय सदन की राय होगी उसको अनुरूप मान-मर्यादा और परम्पराओं को कायम करने की चेष्टा की जायगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—उपनेता सदन ने भी जो बात कही, मैं उसका बड़ा आदर करता हूं, परन्तु नरसिंहनारायण जी ने भी जो कहा कि वह भी आदर करने योग्य है, हम सब चाहते हैं कि सद्भावना बने। जबरदस्ती वह बनायी नहीं जा सकती, मन के गुबार निकल जाने चाहिये जिससे वह निकल कर क्लीन स्लेट पर सद्भावना के आदर पर चला जा सके। इसलिये उपनेता नरसिंहनारायण जी की बात मान लें, डाक्टर अहमद और गेंदासिंह जी भी आजायं और उस बीच में बात करके जो तय होगा उससे सद्भावना पैदा होने का अवसर मिलेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—अभी जो माननीय उपनेता सदन ने विचार व्यक्त किये, उनमें काफी तथ्य है। कल से हमने स्वस्थ वातावरण बनाने के लिये प्रयास किया है। सभी ने इस बात का संकेत किया है कि हम उचित परम्परायें कायम करें। यह सही है कि इस विषय पर विचार-विमर्श का अवसर नहीं मिला और अविश्वास का प्रस्ताव स्वयं प्रमाण है कि असन्तोष है। तो जो सुझाव रखा है मैं भी अनुरोध करूंगा, डाक्टर जेड० ए० अहमद नहीं हैं, लेकिन अपनी पार्टी की ओर से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग इस राय से सहमत हैं कि कुछ समय के लिये सदन को स्थगित कर दिया जाय ताकि हम इस प्रश्न पर विचार कर लें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—चन्द्रजीत यादव जी के कहने के बाद मुझे अब कुछ नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता—मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। आपको, नरसिंहनारायण जी, या किसी भी माननीय सदस्य को यह पूर्ण अधिकार है कि वह अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करे और उस पर वाद-विवाद हो। वह अधिकार आपका है। आप बिना किसी दिक्कत के उसे मानते हैं तो ठीक है, मैं उसमें सहायक हो सकता हूं, १५ मिनट के लिये सदन स्थगित कर सकता हूं, लेकिन अगर वह आपको अस्वीकार है, तो आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मैं आपका बहुत आदर करता हूं। मैं उन माननीय सदस्यों का भी जिनके साथ मुझे बैठने का अवसर मिलता है, आदर करता हूं। लेकिन जिन विरोधी पार्टी के माननीय सदस्यों की भावनाओं से प्रेरित होकर मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं उनकी उन भावनाओं को यहां रखूं और अपने कर्त्तव्य को मुझे पूरा करना चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी तक माननीय नरसिंहनारायण जी ने कोई प्रस्ताव सदन के सामने रखा नहीं है, एजेंडे में छपा है और उनको यहां पेश करने की उनकी तैयारी है। प्रश्न यह है कि यहां इस समय यह सवाल है कि उसे यहां प्रस्तुत न किया जाय या यह है कि उस पर विचार न हो ?

श्री अधिष्ठाता—वह अभी नहीं हुआ है। यदि माननीय नरसिंहनारायण जी यह निश्चय करते हैं कि इसको न प्रस्तुत किया जाय तो यह उनको अधिकार है। अगर वे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वह प्रस्तुत होगा।

जनसंघ सत्याग्रहियों की रिहाई

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—पूर्व इसके कि इस विषय पर चर्चा हो, मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं । मैं अभी दूसरी जगह मीटिंग में गया हुआ था। मैं इसकी सूचना देना चाहता हूं कि जनसंघ ने दूरदर्शिता का परिचय देकर अपना आन्दोलन जो कर के विरोध में था वापस ले लिया है और कल ही हमने उन सब लोगों को जो अन्डर ट्रायल्स थे, जो इस आन्दोलन में पकड़े गये थे, उनको छोड़ने के आदेश दे दिये हैं, सिवाय शायद एक व्यक्ति के, शायद मुझे एक ही बताया गया है, जिसके ऊपर कदाचित वायलेंस का चार्ज था, जो हमारे डी० वाई० एस० पी० थे उनके सिलसिले में, उसका प्रश्न भी अभी विचाराधीन है। मैं यही सूचना देना चाहता हूं।

सदन का भावी कार्यक्रम

श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नेता सदन से एक निवेदन करना चाहता हूं । २६ अक्तूबर से दीवाली के कारण यह सदन उठने वाला है। फिर पहली से बैठेगा। उसके बाद ३ और ४ को सटरडे और सन्डे है। इस बीच में केवल दो दिन का समय मिलता है कार्य करने के लिये। मैं समझता हूं कि इससे सभी माननीय सदस्यों को सुविधा होगी कि अगर कल के बाद सदन की बैठक ५ तारीख से बुला ली जाय ताकि इतने दिन का साथ रहने के बाद एक छुट्टी का भी रूप हो जाय, अन्यथा अगर और कोई विचार हो तो वे सदन के समक्ष रख दें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि जिस सत्याग्रही के बारे में कहा गया है कि उस पर वायलेंस का चार्ज है, जहां तक मेरी स्पष्ट जानकारी है, कोई वायलेंस नहीं किया गया है किसी प्रकार का। मैं यह स्पष्ट कर दूं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—इस विषय में अभी जो बात राजा साहब ने कही उस संबंध में मुझे यह कहना है कि केवल उस एक आदमी का प्रश्न हमारे विचाराधीन है, जिसके विषय में कहा जाता है कि उसने हमारे डी० वाई० एस० पी० को जो कि अस्पताल में पड़ा हुआ है, कुछ लात वगैरह मारी थी। उसके विषय में मैंने अभी कोई निर्णय नहीं किया है, वह प्रश्न मेरे विचाराधीन है और मैं विरोधी दल के नेता को आश्वासन दे रहा हूं कि वह प्रश्न एक सहानुभूति की दृष्टि से देखा जायगा ।

अब सवाल यह है कि जैसा राजा साहब ने ५ और ६ तारीख तक के लिये छुट्टी की बात की, उसमें मेरी कुछ अड़चनें व दिक्कतें हैं, जिनको मैं बतला देना चाहता हूं । ७ तारीख को पंडित जवाहरलाल जी रिहन्ड डैम व अल्यूमिनियम फैक्ट्री का उद्घाटन करने आ रहे हैं और उस समय माननीय सदस्यों को भी दावत देना चाहता हूं कि वे भी उस रिहन्ड डैम योजना को स्वतः अपनी आंखों से देखें । यहां से सब के आने जाने की व्यवस्था सरकार करेगी । वहां जाने आने में समय भी ज्यादा लगेगा क्योंकि वह जगह दूर है । अगर हम ६ तारीख को यहां से चले गये तो शाम तक वहां पहुंच पावेंगे । इसलिये एक ही दिन हमें मिलता है अगर राजा साहब के सुझाव को मान लिया जाय । आजकल मैं काफी दिक्कत में हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे साथी-गण भी ६–७ रोज तक प्रदेश में घूमें फिरें और चीन के हमले से प्रदेश के वातावरण में जो एक बेनिक सी पैदा हो गयी है उसे दूर करने की कोशिश करें । स्वतः मुझे भी बार्डर पर जाना है । तो आज मैं अभी राजस्व मंत्री से बातें कर रहा था कि यद्यपि अगला बिल कल आने वाला था और जो कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट से संबंधित है, मैं उनसे यही निवेदन कर रहा था कि यदि संभव हो तो उसे अगली तारीख को लिया जावे । अभी पता लगा है कि एल० आर० ने बतलाया है कि उसे अगली तारीख को लिया जा सकता है । इस तरह से उसे हम अगली तारीख को कर लेंगे ।

[श्री चन्द्रभान् गुप्त]

हमें काम बहुत से करने हैं इसलिये हम चाहते हैं कि आज के दिन तो उठ चलें और उधर का एक दिन इस्तेमाल करें नहीं तो काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास कोई समय नहीं रहेगा। इतना दिन हम नहीं निकाल सकते हैं जितना कि राजा साहब ने कहा। उधर ६, ७, ८ नवम्बर का डिटेल्ड प्रोग्राम माननीय बनारसी दास जी आपके सामने रखेंगे, उस पर आप विचार कर लें और फिर उस पर कोई सुझाव देंगे तो उस पर विचार कर लेंगे।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि अभी माननीय नेता विरोधी दल ने कहा—इस वक्त का जो कार्यक्रम है जिस पर विचार किया गया, वह इस प्रकार है—जैसा कि अभी नेता सदन ने कहा—आज यह सदन स्थगित हो जाय और ३१ तारीख तक छुट्टी रहे और १, २ तारीख को हम मीट करें। फिर ५ तारीख को एक दिन हम अवश्य मिलें क्योंकि यहां से फिर हमें मिर्जापुर जाना है। गवर्नमेंट इसकी व्यवस्था कर रही है कि माननीय सदस्य स्वतः मिर्जापुर के रिहांड डैम को चल कर देखें क्योंकि यह हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सब लोग वहां जाने के बाद ८ तारीख को ही आ सकते हैं। फिर ११ तारीख को गंगा स्नान होता है। इसलिये १३ से पहले नहीं मीट कर सकते। इसलिये विरोधी दल के नेता से मेरा निवेदन यह है कि अगर वे इस बात को मान लें कि आज सदन को स्थगित कर दिया जाय और फिर १–२ नवम्बर को हम मीट करें, तो मैं थोड़ी सी दरख्वास्त करूंगा कि अगर मुझे एक दिन आगे का मिल जायगा तो सिर्फ ५ को सदन स्थगित किया जायगा और फिर १३ तारीख को हम मीट करेंगे। उसके बाद ५ रोज सेशन चलेगा। फिर हमको स्थगित करना होगा और फिर दिसम्बर में देखा जायगा, नवम्बर में हमें समय नहीं मिलेगा, परिस्थितियां इस प्रकार की हैं। एक सप्ताह के लिये प्रदेश में वातावरण पैदा करने के लिये भी जाना है क्योंकि सभी सदस्यों की इसमें दिलचस्पी है। इसलिये टैन्टेटिवली यह कार्यक्रम रखा गया है।

श्री यादवेंद्रदत्त—अधिष्ठाता महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं है, यह कार्यक्रम वह रखें। मैंने केवल दो दिन की बात कही थी कि १–२ तारीख केवल २ दिन के लिये इतना खर्च होगा, सब आयेंगे। वह अगर बचाया जा सकता है तो बचाया जाय और १३ तारीख के बाद ही फिर बैठें। बाकी माननीय मुख्य मंत्री जी को जिसमें सहूलियत हो वह रखें, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—तो कार्यक्रम जैसा कि माननीय बनारसीदास जी ने सुनाया है उसी के अनुसार रहेगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—अधिष्ठाता महोदय, जो विवाद जोतकर विधेयक पर चल रहा है उसके संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वह उसको वापस लेना चाहते हैं, क्या यह ठीक है ?

श्री अधिष्ठाता—यह प्रश्न इस समय नहीं है।

(श्री नरसिंहनारायण पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल इतना जानना चाहता था कि इस जोतकर बिल पर अब बहस कब से जारी होगी।

श्री अधिष्ठाता—आप बैठ जायं, मैं श्री नरसिंहनारायण को बुला चुका हूं। बाद में आप बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से.....(शोर)

श्री अधिष्ठाता—सदन में शांति की आवश्यकता है, विषय गंभीर है .....

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ आपकी आज्ञा से निवेदन कर दूं । कल जब हम लोग यहां से उठे तो उस वक्त मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया था कि एक नया अध्याय और वातावरण हम आज से इस सदन में बनायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—मैं पुनः चाहूंगा कि सदन में शांति रहे ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तो क्या मैं आपके द्वारा अपनी आवाजं को श्री नरसिंहनारायण पांडेय तक पहुंचाऊं और उनसे नम्रता से निवेदन करूं कि एक नया अध्याय और वातावरण बनाने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि कल हमारे साथियों द्वारा जो दृष्टिकोण रखा गया उसको देखते हुए मेरी उनसे प्रार्थना है, मैं तो उनसे विनती ही कर सकता हूं, कि वह अब इस प्रस्ताव के विषय में वादविवाद न छेड़ें ? उस दशा में कदाचित् उस आशा और विश्वास को कल हमने बनाने की चेष्टा की थी उसको हम पैदा कर सकें और एक नया अध्याय अपने उन विश्वासों के प्रति रखें जो विश्वास सदन के प्रति हम माननीय सदस्यों के होने चाहिये ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—एक प्रार्थना है, श्रीमन् .....

श्री अधिष्ठाता—किस विषय में ?

श्री श्यामलाल—श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के सदन में राजा रानी शब्द का प्रयोग करना अनुचित है, अब राजा रानी वाले दिन उठ गये, आज २० वीं सदी में .....

श्री अधिष्ठाता—आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री श्यामलाल—श्रीमन्, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये। हमारे दल का यह उसूल है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—आप अपनी जगह पर बैठें ।

श्री कमलासिंह यादव—अधिष्ठाता महोदय, अभी मेरी माननीय बनारसीदास जी से बात हुई कि वह आज जोतकर बिल नहीं लेंगे । दूसरे, जैसा कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुझाव दिया है, मैं भी श्री नरसिंहनारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को पेश न करें तो अच्छा है ।

श्री अधिष्ठाता—अब तो यह प्रार्थना कई बार हो चुकी, इसमें अधिकार है नरसिंह नारायण जी को । मुख्य मंत्री जी ने उस प्रार्थना को किया है । इसके बाद वे जो चाहें, करें ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सद्भावना सदन के अन्दर पैदा हो गयी है और इसके प्रमाणस्वरूप बनारसीदास जी ने यहां तक कहा कि हम जोतकर बिल आज नहीं लायेंगे, तो मैं नरसिंहनारायण जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वह इसे उपस्थित ही न करें, जिसमें वापस लेने का प्रश्न ही न रहे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बहुत ध्यान से खास तरीके से नेता सदन, विरोधी दल के नेता और समस्त दलों के नेताओं की बात को सुना । मैं इन नेताओं का बड़ा आभारी हूं । उन्होंने जैसी मुझे सलाह दी मैंने उसी के मुताबिक कार्य किया और आज वह जैसी सलाह देंगे उसी के मुताबिक कार्य करूंगा । लेकिन इस समय मैं अपनी भावना को व्यक्त करूंगा कि जिससे प्रेरित होकर मैंने इसको पेश किया । मैं आदरणीय सदन के सदस्यों से इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने एक स्वस्थ

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

वातावरण की इस सदन में शुरूआत की है, मैं उनका बहुत आभारी हूं । लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हम लोग माइनारिटी में बैठने वाले हैं और माइनारिटी का प्रोटेक्शन आप करते हैं । आज हमारे यहां ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी माइनारिटीज के प्रोटेक्शन के लिये यह जरूरी होता है कि बहुमत दल साथ दे और सहयोग करे और अधिष्ठाता महोदय भी सहयोग करें ।

दूसरी चीज यह है कि मैं इंडियन पार्लियामेंट के स्पीकर जी० वी० मावलंकर को प्रमाण-स्वरूप पेश करना चाहता हूं । जब उन्होंने अध्यक्ष का पद ग्रहण किया तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के बाद मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं रह गया, मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति रह गया । लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है .....

श्री अधिष्ठाता—मैं एक बात स्पष्ट कर दूं । आपको यह अनुमति तो अवश्य है कि आप वह कारण बतला दें, जिनसे प्रेरित होकर आपने यह प्रस्ताव लाने का विचार किया, लेकिन इससे अधिक कहना उचित नहीं होगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—वही कारण बतला रहा हूं । तो मावलंकर साहब ने अध्यक्ष का पद ग्रहण करते ही कहा कि मैं किसी भी पार्टी का सदस्य अब नहीं रहा । मैं निष्पक्ष व्यक्ति हो गया । आप विट्ठल भाई पटेल को देखें । जो इतनी मोटी किताब है इंडियन पार्लियामेंट की, उसमें उन्होंने भी वही शब्द कहे हैं और इतना ही नहीं जिन्ना साहब, जो मुसलिम लीग की सेंट्रल कमेटी के सदस्य रह चुके हैं विरोधी पार्टी में, उन्होंने कहा है कि स्केल आफ जस्टिस अध्यक्ष पर रहता है और माइनारिटीज के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अध्यक्ष पर रहती है । तो इन तमाम भावनाओं से ओतप्रोत होकर मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा है । मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब अपने माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ, जिनके साथ ५ साल तक हमको बैठना है और उच्च परम्पराओं को कायम करना है, अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ता है तो हृदय में ये भावनायें अवश्य रहती हैं । मैं कमलापति जी की उस बात का आदर करता हूं लेकिन उनसे निवेदन करना चाहता हूं और माननीय नेता सदन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपका और हमारा भी कर्तव्य है कि इस कुर्सी को पुनीत और पवित्र रहने दें जिससे कि सही तरीके से हमारी भावनायें व्यक्त हो सकें और माइनारिटीज का प्रोटेक्शन हो सके । मैंने माननीय नेता विरोधी दल, नेता स्वतंत्र पार्टी, नेता कम्युनिस्ट पार्टी, नेता रिपब्लिकन पार्टी और तमाम नेताओं की भावनाओं से प्रेरित हो कर यह संकल्प प्रस्तुत किया था । मैं उनकी भावनाओं का अनादर न करते हुये इसको वापस लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—वापस करने का सवाल नहीं है, आप प्रस्तुत नहीं करते ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मैं इसको प्रस्तुत नहीं करता ।

महापालिका तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन का तथा उसमें सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विनियमन करने वाली नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं महापालिका तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन का तथा ऐसे अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विनियमन करने वाली नियमावली में, नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या

* छापा नहीं गया ।

३६३–म/नि–४–संशोधन–१/११–ग–१९–कार्प–५९, दिनांक २५ सितम्बर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन*

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पंचायतराज रूल्स में, पंचायतराज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५७९३–प/३३–१९५–६१, दिनांक ६ अक्तूबर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कठिनाइयों को दूर करने का) (प्रथम) आदेश, १९६२*

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायतराज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १४१७–ए/३३–२२–आर–६२, दिनांक १८ मई, १९६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कठिनाइयों को दूर करने का) (प्रथम) आदेश, १९६२ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६२ की धारा २७२ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (गांव पंचायतों तथा क्षेत्र समितियों के कार्य कलापों का पर्यवेक्षण) नियमावली, १९६२†

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—श्रीमन्, मैं पंचायतराज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४२८७–ए/३३–४–आर–६२, दिनांक १० अक्तूबर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (गांव पंचायतों तथा क्षेत्र समितियों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण) नियमावली, १९६२ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

(इस समय ११ बज कर ५६ मिनट पर अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, पीठासीन हुये।)

गोरखपुर गोलीकांड के सम्बन्ध में चर्चा उठाने हेतु नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना आई है माननीय कल्पनाथसिंह, केशरीप्रसाद पांडेय, कैलाशसिंह कुशवाहा, बांकेलाल की तरफ से । यह इस प्रकार है—

"गोरखपुर गोलीकांड पर विवाद के लिये विधान परिषद् ने समय निर्धारित कर दिया है । इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री भी वहां पर उपस्थित थे । माननीय मुख्य मंत्री ने या तो दृढ़तापूर्वक अपनी बातों को विधान परिषद् में नहीं कहा, जिसके आधार पर माननीय अध्यक्ष, विधान परिषद् ने कल अपनी यह व्यवस्था दे दी या माननीय मुख्य मंत्री के तर्क ही असंगत थे

---

* छापे नहीं गये ।

† छापी नहीं गयी ।

[श्री अध्यक्ष]

जिसके फलस्वरूप अध्यक्ष, विधान परिषद् ने उपरोक्त विषय पर विधान परिषद् में बहस करने की अनुमति प्रदान कर दी ।

अतः मैं गोरखपुर गोलीकांड पर सदन में चर्चा उठाने हेतु प्रक्रिया नियमावली के नियम ५३ के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं । अब व्याख्यात्मक टिप्पणी इस प्रकार है कि—

(१) सरकार ने टर्म्स आफ रिफरेंस तय करने में एक पक्ष की सूचना को ही आधार माना है ।

(२) टर्म्स आफ रिफरेंस तय करने में वाइस चांसलर जैसे जिम्मेदार व्यक्ति का वक्तव्य आधार नहीं माना गया ।

(३) जिला अधिकारियों—जिनके द्वारा उक्त घटना घटी, उनको अभी तक मुअत्तल नहीं किया गया, आदि, आदि ।"

इसको मैंने स्वीकार तो किया है । वह केवल इसीलिये कि टर्म्स आफ रिफरेंस जो हैं उनके संबंध में अगर कोई सुझाव आये, तो मैं स्वीकार करता हूं, और दूसरी बात यह है कि जो बातें उस घटना के पश्चात् हुई हैं उनके संबंध में, मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं और एक यह है कि जिला अधिकारियों को जिनके द्वारा घटना घटी, उनको मुअत्तल नहीं किया गया । इसमें कोई ऐसी बहस नहीं की जायगी जिससे घटना से संबंधित कोई प्रभाव आयोग पर पड़े ।

बाढ़ के संबंध में श्री चन्द्रबलीसिंह की नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचना

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना माननीय चन्द्रबली की बाढ़ से संबंधित है उसे मैंने संबंधित मंत्री के पास उचित कार्यवाही के हेतु भेज दिया है ।

फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील कार्यालय में प्रजा समाजवादी दल के कार्यकर्त्ता को पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—इसके अलावा एक सूचना माननीय हरिनाथ तिवारी, दौलतलाल, राजाराम मिश्र, रामरती देवी, सुखरामदास, झारखंडेराय, जगदम्बाप्रसाद, ऊदल, मंगलदेव, उमाशंकर, डाक्टर जेड० ए० अहमद, रियासत हुसैन, रामसुन्दर पांडेय, महादेवप्रसाद, अखंडप्रतापसिंह आदि की है । इसे मैं पढ़कर सुनाये देता हूं—

"फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील के कार्यालय में दिनांक १८–१०–६२ को दिन के करीब १२ बजे तहसीलदार के सामने नायब तहसीलदार वसूली और दूसरे अहलकारों के ललकारने पर वहां मौजूद पचासों लेखपालों, अमीनों तथा अन्य अहलकारों ने जिले के प्रमुख प्रजा-सोशलिस्ट कार्यकर्ता श्री भगवतीप्रसाद सिंह को बुरी तरह पीटा । उन्हें बचाने की कोशिश करने वाले एक वकील श्री मुहम्मद हसन सिद्दीकी तथा अन्य कई सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को जिनका संबंध विभिन्न राजनीतिक दलों से है, चोटें लगीं । । श्री भगवतीप्रसाद सिंह पर आक्रमण करने का कारण यह था कि उन्होंने त्रिवेणी लेखपाल को कुछ किसानों के हलराह रिश्वत लेते हुये रोका । इस रोकने पर लेखपाल झगड़ पड़ा और श्री भगवतीप्रसाद सिंह को मार बैठा । इसके बाद यह मामला तहसीलदार के सामने पेश हुआ और नायब तहसीलदार वसूली तथा कुछ अहलकारों ने श्री भगवतीप्रसाद सिंह को मारने के लिये ललकारा और खुद भी मारने में हिस्सा लिया । दूसरे दिन जिले के कांग्रेस, कम्युनिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट तथा सार्वजनिक

कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें उक्त घटना के लिये अधिकारियों की निन्दा की गई और उक्त बैठक में उक्त घटना में न्यायिक जांच की मांग के साथ कुछ और मांगों को रखा गया। जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री, श्री राजबहादुर द्विवेदी, जिला कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री, श्री हरगोविन्द, सोशलिस्ट नेता, श्री सिब्बते मुहम्मद नकवी, श्री रामसुमेर वर्मा एवं श्री भगवती शुक्ल, स्थानीय ब्लाक प्रमुख का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधीश से मिला। जिलाधीश घटना के समय अकबरपुर में ही मौजूद थे। जिलाधीश ने इस घटना को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। उक्त घटना से फैजाबाद की जनता और विशेषतः सभी दलों के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में व्याप्त क्षोभ से उत्पन्न परिस्थिति की ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

यह मैंने ले लिया है। मंत्री जी के पास भेजा नहीं है। तिथि बाद में निश्चित कर दूंगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर का सैनिक सहायता कोष में अपने वेतन के समर्पण के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल को पत्र

श्री अध्यक्ष—एक सूचना माननीय ब्रह्मदत्त मायर ने माननीय राज्यपाल को भेजने के लिये भेजी है। उन्होंने लिखा है कि—

"YOUR EXCELLENCY,

In view of the fresh Chinese attack on our borders and also the need of the hour, I beg that I should be permitted to forego the monthly salary of Rs.200 allowed to me as a member of the U. P. Legislative Assembly.

I submit, therefore, that I shall not accept any salary from the 1st of October, 1962 till the enemy is ousted from the last inch of the motherland.

I remain, Your Excellency.

Yours obediently,
(Sd.) BRAHM DATT MAYOR,
M.L.A.,
Saharanpur."

यह मैं राज्यपाल महोदय की सेवा में भेज रहा हूं।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा, सदस्य विधान सभा के पुलिस तथा गुन्डों द्वारा पीटे जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—मुझे यह निवेदन करना है कि डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा को पुलिस ने और गुन्डों ने बुरी तरह से पीटा है और इसके बारे में कल एक कामरोको प्रस्ताव हमने दिया था। माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं। यह ऐसी घटना है कि जिसको सुनने के बाद आप उस घटना की वास्तविकता को समझेंगे। वहां के कुछ अधिकारियों ने मिल कर एक साजिश करके डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा को बुरी तरह से पिटवाया। उसके संबंध में मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया था। आज भी उनके बदन पर लाठियों की चोटें हैं। वह किसी तरह से सदन में आये थे, यह समझ कर कि वह अपनी भावनाओं को आदरणीय सदन में व्यक्त करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है इसकी ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करें जिससे उस पर उचित कार्यवाही हो सके और माननीय डाक्टर अवधेश से कम से कम गृह मंत्री बात करके सारी समस्याओं को समझने की कोशिश करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—जो काम रोको प्रस्ताव पान्डेय जी ने बताया वह कई आदमियों के नाम से, उसके महत्व को देखते हुये, दिया गया था। मैं चाहूंगा कि कोई न कोई व्यवस्था करें जिससे उस पर वक्तव्य हो जाय या अवरोध हो जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं मानता हूं। नियम ५७ के अन्तर्गत वह विषय आ नहीं पाता। यह दूसरी बात है कि चूंकि कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में दिया था तो वह मैं समझता हूं कि इतना न अविलम्बनीय है, न इतना लोक महत्व का है, सीमित लोक महत्व का अवश्य है। इसलिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में, मैं स्वीकार करने में असमर्थ रहा हूं। यह हो सकता है कि हम और आप बात कर लें तो उसके सम्बन्ध में कोई वक्तव्य चाहें तो वक्तव्य हो सकता है या कोई तरीका होगा, उसको सोच लेंगे और उसका रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन कार्य-स्थगन के रूप में नहीं आ सकता।

कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास फैजाबाद जिले की घटना के सम्बन्ध में जो बहुत से माननीय सदस्यों ने लिख कर दिया है, उसके सम्बन्ध में मालूम नहीं हुआ कि आपने किस नियम के अन्तर्गत . .

श्री अध्यक्ष—मैंने अभी पढ़ कर पूरा सुनाया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया। उसको नियम ५२ में ले लिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—टर्म्स आफ रेफरेन्स के सम्बन्ध में कल दिया था।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दस-पंद्रह आये हैं। मैं प्रत्येक के ऊपर लिख देता हूं। आप मुझसे समझ लीजिये। आपने जो सूचना दी है वह हमारे कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है। आप कहते यह हैं कि मेनन साहब को हटा कर. . . .

श्री काशीनाथ मिश्र—वह नहीं। गोरखपुर फायरिंग के बारे में, जो टर्म्स आफ रेफरेंस है उसके बारे में है।

श्री अध्यक्ष—माननीय जगदम्बाप्रसाद आदि की नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचना आयी है, १ नवम्बर, १९६२ को उस पर बयान होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—११३ (१) के अन्तर्गत मैंने एक सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष—वह मैं आपको सूचना दूंगा लेकिन व्यक्तिगत रूप से।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—एक नेफा के बारे में था। एक गोरखपुर फायरिंग के बारे में था। आपने गोरखपुर फायरिंग के बारे में स्वीकार कर लिया उससे संतोष जरूर हुआ, लेकिन नेफा के बारे में जहां चायनीज फोर्सेज लड़ रही हैं, उसके बारे में ११३ (१) (२) के अन्तर्गत प्रस्ताव था। कम से कम उनकी बहादुरी के बारे में जोकि वहां लड़ रहे हैं या और चीजों के बारे में इस आदरणीय सदन में एक प्रस्ताव आना चाहिये। अगर हमारा आप न लें तो माननीय नेता सदन से ही कहकर ११३ (१) के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव ले लें। जिससे कम से कम इस सदन की भावनायें व्यक्त हो जायं।

श्री अध्यक्ष—उसके लिए हम बातचीत कर लेंगे।

गोरखपुर गोलीकांड के संबंध में चर्चा उठाने हेतु नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, एक सूचना चाहता था कि वह जो आपने नियम ५३ का मंजूर किया गोरखपुर फायरिंग के बारे में, उस पर आज शाम को . . . .

श्री अध्यक्ष—नहीं, आज शाम को नहीं ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, चूंकि टर्म्स आफ रेफरेंस . . . .

श्री अध्यक्ष —नहीं, एक बात मैं निवेदन कर दूं कि इसको, यह जिस फार्म में है उस फार्म में, मैं नहीं ले रहा हूं। उसको ठीक करके तब मैं आपके पास भेजूंगा। हम लोग बैठकर उसको ठीक कर लेंगे तब आपके पास भेज देंगे ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सफाई के तौर पर बता देना चाहता हूं कि यहां बहुत गलतफहमी है। जज जो हैं वह जो हमने प्रीऐम्बिल दिया है उससे बाउंड नहीं हैं। हमने दे रखा है कि जितने चेन आफ इवेन्टस हैं उन सबकी वह जांच करेगा। यदि चेन आफ इवेंटस कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी तरह से पेश करता है तो जज तो उसकी जांच करेगा ही और अपना दृष्टिकोण देगा। तो यह कहना कि उसे बांध दिया है प्रिऐम्बिल से ऐसी बात है नहीं। जज को पूरा अधिकार है कि वह उन सारे चेन आफ इवेंटस का अध्ययन करे और अध्ययन करके अपना फैसला दे। कोई भी उस जज के साथ सुबहा नहीं है इस प्रीऐम्बिल से ।

श्री अध्यक्ष—मैं बता दूं, जरा बैठ जाइए। माननीय दीपनारायण जी, जरा एक मिनट बैठ जाइए। देखिए, मैंने अपना जो उसके संबंध में निर्णय दिया था उसमें भी मेरा मत यही था कि यद्यपि प्रीऐम्बिल में कुछ बातें कही गई हैं लेकिन टर्म्स आफ रेफरेंस में यह कहा गया है कि शुरू से आखिर तक वह कारण की जांच हो जिनसे यह घटना हुई, यह स्पष्ट रूप से रेफर्ड है। तो मेरा मत यही था कि जो माननीय नेता सदन ने कहा कि जज साहब उन समस्त तथ्यों का अन्वेषण करेंगे कि जिन तथ्यों से ऐसी घटना परिणामित हुई। उसका मतलब यह भी हो जाता है कि अगर वहां अधिक संख्या में लड़के इकट्ठा हुए तो किन कारणों से उनमें उत्तेजना हुई, पुलिस के या किसी अधिकारी के कौन से ऐसे कार्य हुए कि जिनके कारण उत्तेजना में आकर उन्होंने पत्थर फेंके। यह सब बातें इसके अन्दर आ जाती हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि टर्म्स आफ रेफरेंस में हम बहस कर लेंगे कल शाम को और तब्दील कर लेंगे कि क्या होना चाहिये।

(श्री गेंदासिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—मेरा भी एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—मैंने माननीय गेंदासिंह को बुलाया है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य से कुछ बातें ऐसी उत्पन्न हो गईं जो वैधानिक बातें हैं। मैं उसकी तरफ आपका ध्यान और आदरणीय सदन का ध्यान . . . . .

श्री अध्यक्ष—जरा एक बात सुन लीजिए। आप मेरी बात समझ तो लीजिए। जब इसके ऊपर मैं आपको समय दे रहा हूं तो कांस्टीट्यूशनल बात ....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर दूसरी तरह का रख रहा हूं। आप मेरे प्रोपोजीशन को सुन लीजिये और तब कहिए। मेरा प्रोपोजीशन यह है कि जो जुडिशियल एन्क्वायरी नियुक्त की गई है वह कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट के एक सेक्शन के मातहत नियुक्त की गई है। इंक्वायरी आफिसर या जुडिशियल आफिसर जो एन्क्वायरी करेगा वह जज ही क्यों न हो, वह प्राजीक्यूटिंग एथारिटी नहीं है। वहां पर जो घटना हो रही है....

श्री अध्यक्ष—इससे क्या मतलब है?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मेरा कहना यह है कि जब जज एक प्राजीक्यूटिंग एथारिटी नहीं हो सकता है। एक इंक्वायरी की रिपोर्ट ही इस सरकार को दे सकता है और वह रिपोर्ट इस आदरणीय सदन में या सरकार के पास विचार के लिये जा सकती है तो श्रीमन्, वहां पर जो गैर-कानूनी ढंग से और काम हो रहे हैं और जो सरकारी अधिकारियों की तरफ से हो रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—आप सुन तो लीजिये। मैं उसके लिये तो इजाजत दे रहा हूं कि उस घटना के बाद अगर कोई बात हुई है या हो रही है, तो उस पर विचार होगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जुडिशियल इंक्वायरी के अन्दर जो प्रासीक्यूटिंग अथारिटी के राइट्स हैं, वह उस जज को देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मेरी भावना आप समझें। आपने नोटिफिकेशन द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी मुकर्रर कर दी। लेकिन उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में इस बात का समावेश नहीं किया कि आखिर वह प्रासीक्यूटिंग अथारिटी है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो जितनी जुडिशियल इंक्वायरीज होती हैं उनकी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में चली जाती है।

श्री अध्यक्ष—प्रासीक्यूटिंग अथारिटी का मतलब क्या है मुझे नहीं मालूम। वह तो एग्जीक्यूटिव होती है जो मुकदमा चलाती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—एक मैजिस्ट्रेट प्रासीक्यूटिंग अथारिटी होता है। उसे सम्मन ईश्यू करने का राइट होता है। इसके अतिरिक्त उसे राइट होता है कि जो क्रिमिनल है उसे वह सजा दे सके। मैं समझता हूं कि इस तरह की जो जुडिशियल इंक्वायरी होती है वह रद्दी की टोकरी में नहीं जायेगी।

श्री अध्यक्ष—यह बात आप कल कह दीजियेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता था कि वहां कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं इसको एलाऊ कर रहा हूं और इस पर कल हम बहस कर रहे हैं।

*श्री गेंदासिंह—मैं यह कह रहा था कि जुडिशियल इंक्वायरी तो सरकार ने मुकर्रर कर दी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आयेगी ४ महीने के बाद। इस समय जो वहां की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थिति है उस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। वहां करफ्यू आर्डर लगा हुआ है, धारा १४४ लगी हुई है और जो भीतर भीतर आग सुलग रही है उसको पता नहीं सरकार को सूचना है या नहीं। जिन लोगों ने वहां जाकर प्रत्यक्ष रूप से जांच पड़ताल की है, अगर उनसे भी मुख्य मंत्री ने जानकारी हासिल की होती तो, वह इस पर रजामन्द हो जाते कि सदन में इस विषय पर दोनों तरफ से विचार सुन लिये जायं। श्रीमन्, मैं प्रिएम्बिल की बात छोड़ देता हूं। उसमें जो बात लिखी हुई है उससे ठीक उल्टी भी रिपोर्ट आये तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो जुडिशियल इंक्वायरी बैठी है वह फाइनल अथारिटी नहीं है। नरसिंह जी जो कह रहे हैं, वह प्रासीक्यूटिंग अथारिटी तो है ही नहीं, मैं कहता हूं कि वह फाइनल अथारिटी भी नहीं है। वह तो एक इंक्वायरी कमेटी है जिसकी रिपोर्ट सरकार चाहे माने चाहे न माने। वह क्वासी जुडिशियल कही जाय, सेमी जुडिशियल कही जाय या जुडिशियल कही जाय, लेकिन किसी जजमेंट में और फाइंडिंग में कितना अन्तर होता है इसे आप जानते होंगे। तो मैं समझता हूं कि वहां की जनता को संतोष हो सके कि सरकार उचित कदम उठा रही है .....

श्री अध्यक्ष—आप चाहते क्या हैं ?

श्री गेंदासिंह—सब से पहले तो सरकार को यह बतलाना चाहिये कि जो सरकार के दिमाग में कसूरवार नहीं हैं उनके प्रति उसका क्या रुख है ? अगर सरकार समझती है कि प्रोफेसर को पीटने वाले से लेकर विद्यार्थियों पर गोली चलाने वाले तक सब बेकसूर हैं तो इस विषय में मतभेद हो सकता है और इसमें सख्त मतभेद है और उसके लिये मैं समझता हूं कि बिना दूसरों को सुने हुए सरकार को कोई फाइंडिंग नहीं देनी चाहिये। इसलिये मेरी राय यह है कि इस पर जल्दी से जल्दी बहस का मौका दिया जाना चाहिये। मैंने सुना है कि असेम्बली उठ रही है और उसके बाद ७, ८ दिन बाद बैठेगी। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं कि इतने समय तक इस विषय में कुछ न किया जाय और मैं समझता हूं कि असेम्बली उठने से पहले ही इस पर विचार हो जाना चाहिये। ताकि लोग समझ सकें कि विधान सभा अपने उत्तरदायित्व को गोरखपुर की फायरिंग के बारे में निबाहने के लिये बिल्कुल उद्यत है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जो माननीय गेंदासिंह जी ने कहा है मैं उसकी ताईद करता हूं। मैं भी गोरखपुर से अभी आ रहा हूं। पूरे विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। जब आप फिर मौका देंगे तो कहूंगा। लेकिन मैं भी समझता हूं कि चाहे आकस्मिक से जो वातावरण पैदा हो गया है और जिसको हम सब बनाने में लीन हैं उसको देखते हुए उसका समाधान हो जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि बहस हो जाय। हमारे मुख्य मंत्री जी के प्रयास काफी इस दिशा में स्तुत्य हैं। जो सत्याग्रही थे जनसंघ के, उनको जेल से छोड़ दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में जो वातावरण देहातों में लड़कों के प्रदर्शनों और हड़तालों से हो रहा है, मैं समझता हूं कि पूरे देश और प्रदेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वह एक तरफ खींच ले रही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर थोड़ा विवाद अवश्य हो जाय।

एक बात और कहूंगा कि इन्क्वायरी के स्थापित करने में माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार ने बहुत जल्दी की। वह बहुत उचित था और प्रशंसनीय है। यह सही है कि जो जितना दोषी है उसको उस सीमा तक दन्ड दिया जाय। परन्तु इसके लिये यह जरूरी है कि जो लोग उसमें अड़चनें डाल रहे हैं या डाल सकते हैं उनको दूर किया जाय। मैं आपको बताऊं कि वास्तव में कल मैं दिन भर घूमा हूं एक एक मुहल्ले मुहल्ले और गली गली घूमा हूं। मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि वहां जो मौजूदा डा० आई०

[श्री झारखंडेराय]

जो० हैं, इस्लाम साहब वह अधिकारी जिन्होंने गोली चलाने में हिस्सा लिया, वह जब तक वहाँ से हटाये नहीं जाते, तब तक मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हूं कि इन्क्वायरी निष्पक्ष रूप से हो नहीं सकती है। आपको शायद पता नहीं कि किस तरह की कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं, किस तरह के एविडेन्सेज गढ़े जा रहे हैं। इसलिये मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस पर विवाद होना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे आज देश और प्रदेश की स्थिति को और वातावरण को देखते हुए गोरखपुर के मसले पर गौर करें। वहां की बात आजमगढ़ और देवरिया में तेजी से फैल रही है। देवरिया के इतिहास में ऐसी हड़ताल कभी नहीं रही है। ऐसी हालत में वातावरण को ठीक रखने के लिये यह जरूरी है कि इन्क्वायरी ठीक से चलाई जाय। इसलिये उक्त अधिकारी को वहाँ से हटाया जाना अति आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—टर्म्स आफ रिफरेन्स के ऊपर आज बहस साढ़े तीन बजे से हो जाय। इस पर क्या नेता सदन कुछ कहेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आपसे मैं यह कहूंगा कि टर्म्स आफ रिफरेन्स की वजह है। जज महोदय के कहीं हाथ बंधे नहीं हैं। आप तो स्वतः उन अधिकारी को जानते होंगे। अभी मेरे मित्र श्री झारखन्डे ने जो कहा है वह मैंने बड़े गौर से सुना और उन वाकयात और हालात को समझने की कोशिश की। जब मैंने उन हालात के बारे में सुना तो मैंने विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर महोदय से बात की थी। उस व्यक्ति के घर में जो कि संबंधित हैं उनके घर में टेलीफोन तक से बातचीत करने की कोशिश की परन्तु सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका। जो वह लेक्चरर हैं, जिनके कारण यह कांड हुआ, उनसे मैं फोन मिलाने के बावजूद भी बात न कर सका। मैंने गोरखपुर से भी बात की और वाइस चान्सलर महोदय से भी ३–४ दफा बात की। मैंने कमिश्नर महोदय को भेजा और वह परसों आये भी और उनसे मेरी करीब डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई। उन्होंने सारी बातें मेरे सामने रखीं। यदि माननीय सदस्यगण घूम फिर कर आये हैं तो वह मेरे साथ घंटा आधा घंटा बैठ जायं। तो मैं अपने दृष्टिकोण उनके सामने रखूंगा और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करूंगा। यही अधिक उचित होगा। यहाँ पर मैं अपना दृष्टिकोण जज महोदय के प्रति रखूं तो मैं कदाचित न्याय नहीं करूंगा। जिनके बारे में कुछ राय दूं। मैं उनके प्रति न्याय नहीं कर सकूंगा, तो मेरी दिक्कत है कि मैं कोई विचार प्रकट करूं और जज को प्रिजुडिस करूं। जानकारी की बात यह है कि वह मुझ से बात कर लें, मैं उन्हें सन्तोष दे सकूंगा। और जो वह चाहते हैं कि जज महोदय इससे संबंध रखती हुई कोई और जानकारी प्राप्त कर लें तो मुझे बता दें, मैं उन जज महोदय तक उस खास बात की जाँच के लिये जुड़वा सकता हूं। मेरे हिसाब से तो सारी बातें आ सकती हैं। मैं अपने एल० आर० और न्याय मंत्री से पूछकर कर सकता हूं, उसमें आपको भी आपत्ति नहीं होगी।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—आपने कल्पनाथ जी का प्रश्न नियम ५३ के अन्तर्गत स्वीकार किया है, वह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मुख्य मंत्री उदारतापूर्वक टर्म्स आफ रेफरेंस में इधर के लोगों के सजेस्शन को शामिल करने के लिये आश्वस्त कर रहे हैं, यह ठीक है, लेकिन आज सदन ५–६ रोज के लिये उठ रहा है, पहली या दूसरी को हम मिलेंगे तो उस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के लिये आप कौन-सा समय निर्धारित करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—जिस तरह से मैं उसे एलाउ करता हूं, उसको दुरुस्त कर दूं। अब चूंकि हाउस उठ रहा है तो सूरत यह है कि अगर नेता सदन की बात स्वीकार न हो तो मैं ठीक करके पहली तारीख को रख दूं।

श्री रामायणराय—मैं आपकी तरफ से आग्रह कर रहा हूं कि दोपहर में परामर्श करके समय और स्थिति निश्चय कर लें और ढाई घंटे या उससे अधिक जितना समय आप चाहें वह दें।

श्री अध्यक्ष—ढाई घंटे या उससे कम।

श्री रामायणराय—हम तैयार हैं। अगर साढ़े पाँच बजे के बाद भी आप समय दे सकें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—यहां तो मुख्य मंत्री ने ऐलान कर दिया कि टर्म्स आफ रेफरेंस में सब कुछ आ गया है और वहां कौंसिल में इस पर डिबेट हो रहा है, वहां टर्म्स आफ रेफरेंस का कोई सवाल नहीं है। क्या यह यहां के लिये शोभाजनक होगा ?

श्री अध्यक्ष—जो बातें मुझे स्वीकार थीं, वह मैंने बतला दीं।

श्री दीपनारायणसिंह—मैंने भी एक प्रस्ताव रखा है और मैंने आज के 'नवजीवन' का भी उद्धरण दिया है। गोरखपुर में गवाहों को धमकियाँ दी जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष—अब सदन उठता है। साढ़े तीन बजे इस पर विवाद होगा। मैं इसको ठीक कर दूंगा।

(इस समय १२ बजकर २९ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ३ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

निलम्बित सदस्यों के निलम्बन को समाप्त करने की प्रार्थना

श्री जगन्नाथप्रसाद रावत (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि परसों से जो सदन में एक सद्भावना का वातावरण पैदा हुआ है और आज भी स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर महोदय के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव था उसको वापस ले लिया गया है उससे भी एक सद्भावना का वातावरण पैदा हुआ है। मैं समझता हूं कि अब से कुछ दिन पूर्व कुछ माननीय सदस्यों का जो निलम्बन हुआ था वह शायद २६ या २७ तारीख को समाप्त होने वाला है। आज जो सद्भावना का वातावरण पैदा किया गया है उसको देखते हुए, मैं यह मुनासिब समझता हूं कि उन सदस्यों के निलम्बन को अब वापस ले लिया जाय जिससे कि और सद्भावना यहाँ पर कायम हो सके और सदन का काम अधिक प्रेम और सद्भावना के साथ चल सके।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि इस प्रकार का प्रस्ताव इस समय यकायक लाया गया। अभी कुछ देर पहले, एक और विषय के ऊपर, माननीय विरोधी दलों के नेताओं से मेरी बातचीत हुई थी और वह बहुत सद्भावना पूर्वक हुई। अगर इस विषय को लाना है तो विरोधी दल के नेतागण इस विषय पर मुझसे बात करके इसको तय कर सकते हैं। लेकिन एकदम इस तरह का प्रस्ताव रख कर वे इस वातावरण को दूषित करना चाहते हैं जिसको कि बनाने की चेष्टा की गयी है।

इस समय जिस विषय पर चर्चा करने के लिये हम यहां इकट्ठे हुए हैं उस पर मैंने विरोधी दलों के नेताओं से बातचीत की है और मैं उस पर भी दो शब्द कहूंगा। जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं नेतागणों से बात कर लूंगा और उसके बाद मैं स्वतः इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—मेरी समझ में यह बात ठीक है कि बातचीत करने के बाद यह प्रस्ताव अगर आये तो ज्यादा ठीक रहेगा और उसी से एक अच्छा वातावरण बनेगा। यहां किसी की यह मंशा नहीं है कि वातावरण अच्छा न बने। अच्छे वातावरण में ही असेम्बली का काम सहूलियत से चल सकता है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूं रावत जी उससे संतुष्ट होंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—मुझे इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना करना है कि, जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत से सदस्यों का निलम्बन कल समाप्त हो जायेगा, ज्यादा से ज्यादा २६ तारीख तक चलेगा। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम किसी से भीख या भिक्षा को नहीं मांगेंगे। हम, हमारे नेता, बहुत ही बहादुरी के साथ अपने काम को करते हैं और उसमें हमारी श्रद्धा होती है। यह प्रस्ताव अगर पहले आ गया होता तो बेहतर होता, लेकिन अब लाकर कोई दया नहीं की जा रही है। जहां तक सद्भावना का प्रश्न है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी को कि वे यह न समझें कि जब यह प्रस्ताव आयेगा तभी वह सद्भावना रह पायेगी, इस सदन की मान मर्यादा को रखने और सद्भावना का वातावरण बनाये रखने में जो कुछ भी सोशलिस्ट पार्टी कर सकेगी, वह करेगी, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। उसमें इंच भर भी कहीं कमी नहीं आने पायेगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने तो अभी निवेदन किया कि इस पर मैं माननीय विरोधी दल के नेताओं से बातचीत और परामर्श करूंगा और जो अभी कल या परसों समय खत्म होने की बात कही गयी, मैं समझता हूं कि उसमें कुछ भ्रम है। अभी मुझे मालूम हुआ था कि वह काफी दिनों के बाद खत्म होने वाला है क्योंकि ३० दिन में शायद छुट्टियां कानून के हिसाब से सम्मिलित नहीं होती हैं। मैं जब नेतागण से बात कर लूंगा तो स्वतः इस प्रकार का प्रस्ताव जैसे ही हम बैठेंगे, प्रस्तुत करूंगा।

गोरखपुर गोलीकांड के अभिसूचित विषय पर नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा न होना

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मुझे प्रसन्नता है कि जिस विषय के लिये हम यहां इकट्ठे हो रहे थे उसके बारे में मैंने विरोधी दलों के नेताओं को और कुछ सदस्यों को आमंत्रित किया था और गोरखपुर फायरिंग के बारे में, गोरखपुर कान्ड के बारे में, जो विवाद होना था उसके बारे में वह मुझसे सहमत हुए कि आज उस पर विवाद की आवश्यकता नहीं है। यह बात तय हो गई कि वे अपना अपना दृष्टिकोण मुझे लिख कर दे देंगे और उसके अनुसार जहां तक जो कार्य करना होगा, उस कार्य के सिलसिले में सरकार विचार कर लेगी और उस पर सदस्यों की जो भावनायें हैं उन्हें वहां तक पहुंचाने की चेष्टा करेगी, जहां वे पहुंचाई जानी चाहिये।

माननीय पांडेय जी ने सबेरे मुझसे कहा था और कल भी कहा था कि एक प्रस्ताव इस विषय का हमें सदन में पास करना चाहिये। जिसकी चर्चा बाहर हमने सभी दलों के नेताओं से मिलकर की। सबेरे भी मैंने कहा था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उन्होंने सुझाव दिया था कि वही प्रस्ताव जो कि हम सबने मिलकर तिलक हाल में पास किया था, वैसा ही पास किया जाय। तो यदि पांडेय जी चाहेंगे तो मैं उसे सदन में प्रस्तुत कर दूंगा। मैं उसे ले आया हूं। मुझे विश्वास है कि सभी नेतागण उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इसमें मुझे स्वतः कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई उसके विपरीत विचार हो तो मैं नहीं जानता।

श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का निलम्बन घटाने के विषय में नहीं जाना चाहता क्योंकि जनसंघ का स्पष्ट मत है कि आज देश में सद्भावना का और सहकारी वातावरण होना चाहिये। उस विषय को उठाया गया, ठीक

ही किया गया। उस पर जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी उचित समझेंगे, विचार करेंगे। उसके बारे में न हमको, कोई याचना करनी है और न कोई प्रार्थना करनी है।

गोरखपुर के विषय में मैं समझता हूं, मेरा अपना विचार है वहां जाने के बाद, कि घटना बड़ी दुःखद है। उसमें एक घटना ऐसी दुःखद हुई कि जिसे मैं जीवन भर नहीं भुला सकता हूं। मैं किसी आवेशवश उस घटना का यहां जिक्र नहीं कर रहा हूं और न किसी प्रतिशोधवश। परन्तु केवल इस दृष्टि से कि हम और आप सब मिलकर सोचें कि भविष्य में फिर इस प्रकार की बात न पैदा हो। एक लड़का उसमें मर गया। मैं नाम नहीं लेता हूं। वह १८ वर्ष का था। उसकी अभी ३ महीने पहले शादी हुई थी। १५ या १६ वर्ष की उसकी स्त्री है। मैं जब गोरखपुर गया, शव वहीं था। मेरे पैर पकड़ कर वह रोने लगी और कहने लगी कि मेरा सुहाग लाओ। हम सब पिता हैं, सभी के लड़कियां हैं। दुर्भाग्यवश यदि हमारी ही कन्या सम्मुख खड़ी हो जाय तो हमारे हृदय पर क्या असर होगा? ऐसी घटनाओं को हम रोकथाम करें। उसमें कुछ ऐसी बातें हुयीं जो मैंने मुख्य मन्त्री जी से कही हैं। बड़ी चिन्ता का विषय है। साथ ही कन्ट्रोवर्शल भी है। मैं मुख्य मन्त्री जी की स्थिति को समझता हूं कि मुख्य मन्त्री होने के नाते उन्हें कुछ दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। वह भी मैं नहीं चाहता हूं। उन चीजों की ऐसी पेचीदगियां हैं कि उनकी चर्चा यहां होने के बाद वे और भी पेचीदा हो जायेंगी। इसलिये मैं सभी माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने रोष को रोक कर उसकी चर्चा यहां न करें। आज की स्थिति में मैं कह रहा हूं। हमेशा के लिये नहीं कह रहा हूं। आज आवश्यकता है कि हमारी सारी एनर्जी, सारा प्रयत्न विदेशी को देश से बाहर करने में लगना चाहिये। भले ही एक बार हमारा अपमान हो, हम उसे सहन कर लेंगे। लेकिन राष्ट्र का अपमान नहीं होने देंगे। परन्तु घटना बड़ी हृदय विदारक है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अपील करता हूं और हम सबमें वयोवृद्ध होने के नाते, उनसे अपील करता हूं, कि इन्क्वायरी तो अपने स्थान पर हो ही रही है, परन्तु वह अपने प्रशासन के दृष्टिकोण को देखें। मैं समझता हूं कि उसमें वह हम सबकी भावनाओं को एकमोडेट कर सकेंगे कि जिन अधिकारियों के ऊपर कहा जाता है कि जिम्मेदारी है उस घटना की—मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि और मेरा दृढ़ विश्वास है कि वह दुःखद कान्ड ही उन कुछ ही अधिकारियों के कारण हुआ है—उन्हें अगर वहां से हटा सकें तो आज एक बहुत बड़ी राहत उन लोगों को मिलेगी जिन्हें कष्ट हुआ है और जो भावनायें उठ गई हैं उनका परिमार्जन वहां और प्रान्त में भी हो सकता है। इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस पर वह विचार करें और अगर अपनी परिस्थितियों के अन्दर हमारी बात मान सकते हैं तो कम से कम इसे वह अवश्य करें। माननीय सदस्यों से मैं कहूंगा कि उस दुःखद और हृदय विदारक घटना की चर्चा और उसकी बहस यहां होना जो हमारा मुख्य लक्ष्य है उसमें थोड़ा सा बाधक होते हैं। मैं इसके विरोध में हूं कि पुलिस की इस तरह की घटनाओं की चर्चा न हो। होनी चाहिये। लेकिन आज की परिस्थिति वैसी नहीं है। आज चर्चा करने से हम अपने मन्तव्य से थोड़ा-सा हटते हैं। भावनायें जागेंगी और उसकी प्रतिक्रिया सारे प्रान्त में होगी। तो अच्छा है कि हम उसकी आपस में बैठकर बात कर लें। सदन में न उठायें। इसी दृष्टि से मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे इस विनम्र निवेदन को मान लें, क्योंकि हमारे हृदय में जो चोट है उस घटना की वह मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि जो लोग वहां हो आये हैं उन सबकी यही राय है कि जिन अधिकारियों के कारण, मुख्य मन्त्री जी नाम जानते हैं, जिनके ऊपर उस दुर्घटना की जिम्मेदारी है, उन्हें वहां से हटाना चाहिये। कैसे हटाया जाय, यह मुख्य मन्त्री जी अपने प्रशासकीय दृष्टिकोण से सोचें। यही मेरा विनम्र निवेदन मुख्य मन्त्री जी से है और उधर के माननीय सदस्यों से है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, जो दृष्टिकोण माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किया है, उसके विषय में जब हमसे और सब विरोधी दल के नेताओं से बातचीत हुई, उसको मैंने समझ लिया है और इसलिये मैंने नम्रता से सबसे निवेदन किया था कि वे अपना-

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

अपना दृष्टिकोण और अपनी-अपनी जानकारी मुझ तक पहुंचा दें जिससे मैं उन दृष्टिकोणों को समझकर और उनका समन्वय करके, स्वतः, अलावा उस जुडीशियल इन्क्वायरी के, उसका नतीजा निकाल सकूं। यों तो जहां तक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास रहा, यद्यपि मैं वहां गया नहीं लेकिन यहीं से घंटों तक कई मर्तबा मैंने वहां के लोगों से जानकारी प्राप्त की और जिनसे जानकारी प्राप्त करनी चाहिये थी उनसे भी जानकारी प्राप्त की। और बाद में मैंने अपने कमिश्नर को भी वहां भेजा और वह भी जानकारी प्राप्त करके आये। अब मैं इतना ही इस वक्त कहूंगा कि यह घटना एक दुःखद घटना है। मैं तो उन व्यक्तियों में हूं जिसे चाहे कहीं कोई गोलीकांड हो जाय और उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय, उससे भारी तकलीफ होती है, चाहे गोली आवश्यकता के अनुसार ही क्यों न चलायी गयी हो। रोजमर्रा मेरे पास जिन्हें फांसी की सजा होती है उनके मर्सी पेटिशंस आते हैं और कानून ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। मुझे भी फांसी का आदेश देने में काफी परेशानी सी रहती है, दिक्कत सी रहती है और तकलीफ भी मालूम देती है। किसी भी नौजवान बच्चे की जान चली जाय और वह भी गोली कांड के द्वारा चली जाय तो वह जरूर तकलीफ का विषय है। उस स्त्री के लिये तथा उसके घर वालों के लिये तो वह तकलीफ का विषय है ही, परन्तु वह प्रत्येक नागरिक के लिये एक दुख की बात होती है और मैं स्वतः दुखी हूं कि इस प्रकार की घटना गोरखपुर में हुई। परन्तु मैं राजा साहब से सहमत हूं और आज उसके ऊपर अब विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। उनके समक्ष मोटे तौर पर मैंने बतलाया क्योंकि ज्यादा ब्योरे में तो मैं जा नहीं सकता। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी जानकारी स्पष्टतया मुझे है परन्तु मैं उनके समक्ष उनको रख नहीं सकता था क्योंकि उसका जूडीशियल इन्क्वायरी पर कोई असर पड़ सकता है। तो वे बातें मैंने उनसे नहीं कहीं, परन्तु मैं इस बात के लिये सभी विरोधी दल के नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी उन बातों को सुन कर और उसका पूरा अहसास करते हुए स्वतः इस बात का निर्णय कर लिया कि विरोधी दल के नेता के वक्तव्य के बाद वे इस विषय के ऊपर कोई चर्चा इस सदन में इस अवसर पर नहीं उठावेंगे। इसके लिये मैं आपके द्वारा उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और इतना ही निवेदन करके इस विषय से विदाई लेता हूं कि सरकार यदि कहीं कोई गलती और भूल हो गयी होगी, कहीं कोई ज्यादती हो गयी होगी और जब जुडीशियल इन्क्वायरी के बाद वह विदित होगी तो अवश्य वह कार्यवाही करेगी जो किसी सरकार को जनता के प्रतिनिधियों को सन्तोष देने के लिये न्याय की दृष्टि से करनी चाहिये। मैं इन चन्द शब्दों के साथ अपनी आवाज को राजा साहब की आवाज से मिलाता हूं और सभी साथियों व सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अब इस विषय को इसी जगह पर खत्म किया जाय।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से नेता सदन और विपक्ष के नेता की मार्मिक अपीलों को सुना, लेकिन श्रीमन्, आप देखें कि आज से दो दिन पूर्व इसी प्रकार की सूचना और इसी प्रकार की बहस की मांग की गयी थी सभी लोगों के द्वारा, तो मेरी समझ में नहीं आया कि इन दो दिनों के बीच में कौन सी ऐसी बात हो गयी। इससे मैं समझ सकने में असमर्थ हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी की अपील और दूसरे लोगों ने जो कुछ भी बातें कीं वे ठीक हैं लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी विधान परिषद् के सदस्यों तथा चेयरमैन को संतुष्ट नहीं कर सके इस विषय पर कि वहां बहस न हो और यह बात वहां तय नहीं हो सकी कि इससे स्थिति बिगड़ेगी। मैं विवश हूं अपने जजबात को रोकने के लिये, अपने विचारों को रोकने के लिये क्योंकि यह परम्परा की बात है और मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि आज इस सदन में नेता सदन और नेता विरोधी दल, दुबे जी ने जो अपील की है मेरे जैसे सदस्य के लिये सर्वमान्य बात हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं एक अपील मुख्य मंत्री जी से अवश्य करूंगा कि विरोधी पक्ष के नेता, हमारी पार्टी के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के उपनेता और हमारी पार्टी के माननीय सदस्य माननीय बांकेलाल और मैं स्वयं घटनास्थल की जानकारी कर लिये

हैं लेकिन मुख्य मन्त्री जी को घटना स्थल की जानकारी नहीं है। चाहे वह हमारी बात पर विश्वास करते हों, चाहे अधिकारियों की बात पर विश्वास करते हों लेकिन मेरा निवेदन है कि मुख्य मन्त्री जी को स्वयं गोरखपुर जाना चाहिये और वहां के लोगों को सांत्वना भी देना चाहिये और उनके आंसू पोछने चाहिये। मैं नहीं चाहता कि इस बात का कोई तिल का ताड़ बनाया जाय।

आज उप गृहमन्त्री जी नहीं हैं। जिस दिन घटना हुई थी और जब मैं लखनऊ से गोरखपुर जाने लगा उस दिन उनसे भी मैंने निवेदन किया था कि मुख्य मन्त्री जी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं, आप गोरखपुर तशरीफ ले चलिये लेकिन कुछ व्यक्तिगत कठिनाई थी और वह नहीं जा सके।

श्री उपाध्यक्ष—उनके बहनोई की मृत्यु हो गयी थी।

श्री कल्पनार्थसिंह—फिर भी इतना बड़ा मन्त्रिमण्डल था, उसका जो सबसे विश्वस्त तथा विश्वासपात्र सदस्य होता उसको कम से कम भेजा जाता। मैं यह जरूर चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी सदन को आश्वस्त करें कि निकट भविष्य में, मेरे पास ऐसी भी सूचनायें हैं कि वहां हालत उत्तरोत्तर बिगड़ती चली जा रही है—धारा १४४ का लागू होना, अफसरों का रोब, किसी नेता की अखबारी अपील ये सब कारगर नहीं हो रहे हैं—वहां की स्थिति को संभालने के लिये माननीय मुख्य मन्त्री जी वहां स्वयं जायेंगे और इस अपील पर वह अवश्य गौर करेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो नेताओं के साथ में भी गया था और गोरखपुर में रहने के नाते हमें कितना कष्ट है, हमारी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंची है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि कोई कार्य करने के लिये जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं उनको उसे जिम्मेदारी के साथ करना पड़ता है। मैं मुख्य मन्त्री जी की उस भावना का आदर किये बिना नहीं रह सकता, जो उन्होंने हम नेताओं के बीच में व्यक्त किये हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने नोटिफिकेशन इश्यू किया है उसमें अब भी पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। पर्याप्त सुधार की इसलिये जरूरत है कि मैंने उस नोटिफिकेशन को जो कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, १९५२ के अन्तर्गत इश्यू किया गया है बड़े ध्यान से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद मुझे कुछ शंका उत्पन्न हुई और मुख्य मन्त्री जी अगर उन शंकाओं को दूर कर दें तो मैं समझता हूं कि उससे इन्क्वायरी कमीशन को भी कार्य करने में सुविधा मिल सकती है। जो सिंगिल मैन इन्क्वायरी कमीशन की नियुक्ति हुई है उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स में ऐसी चीजों का आभास मिलता है जिससे ऐसा मालूम होता है कि उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स लिमिटेड कर दिये गये हैं। मैं उस नोटिफिकेशन की चन्द लाइनों को पढ़े देता हूं जिससे साफ हो जायगा—

"And where as the State Government is of opinion that it is necessary to hold a full enquiry into the said chain of events."

क्या सेड चेन आफ इन्ट्स थे? तीन सेक्शन्स में घटनायें इस नोटिफिकेशन में दी हुई हैं। उन घटनाओं के अन्तर्गत केवल एक ही घटना की बात कही गयी है जो सरकारी पक्ष है। इसीलिये मैंने उस रोज कहा था कि हमें शंका हो रही है कि एक तरफ की बात नोटिफिकेशन में लिखी गयी है और इन्क्वायरी कमीशन के हाथ नोटिफिकेशन में ऐसी चीजों को डाल देने के बाद बंध जाते हैं। इसलिये इसका क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है। अभी तक जितने कोर्ट आफ इन्क्वायरी कांस्टीट्यूट हुए हैं उनमें केवल एक लाइन लिखी जाती रही है और उनके टर्म्स आफ रेफरेन्स ऐसे होते हैं जो या तो सदन निश्चित करे या जो सही विचार कोर्ट आफ इन्क्वायरी कांस्टीट्यूट करने में हो उसको ठीक तरह से प्रस्तावित किया जाय। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें केवल उन घटनाओं के बारे में जांच करने के लिये लिखा गया है जो सरकार की रिपोर्ट है। इससे जरा शुबहा हो जाता है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी नोटिफिकेशन को देखें। जहां तक उसमें पावर्स का सम्बन्ध है सेक्शन ५ जो कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट,

[श्री नरसिंह नारायण पांडेय]

१९५२ का है वह इसमें बढ़ा दिया जाय। हालांकि सी० पी० सी० वहां लागू होता है और उसकी धाराओं के मुताबिक वह काम करेंगे लेकिन सेक्शन ५ जोड़ देने से उनको कार्य करने में सुविधा मिलेगी। तो इस बारे में, अगर जरूरत हो तो, मुख्य मन्त्री जी एल० आर० से बात कर के दूसरा नोटिफिकेशन लाने की जरूरत हो या अमेंडमेंट करने की जरूरत हो, जो भी आवश्यक हो उसको करें।

आखिर में, मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि जब आप सारी सद्भावनायें इस सदन के अन्दर और इस प्रदेश में रखना चाहते हैं फिर भी मुझे यह सूचना है कि लोगों को चोट लगी, आपने बड़ी मेहरबानी की, एक डाक्टर को वहां भेजा, वह गोली वगैरह निकालने के सम्बन्ध में अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अस्पताल के अन्दर लाठी चार्ज किया गया। जब आपने इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट कर दी फिर अस्पताल में लाठी चार्ज क्यों किया गया यह मेरी समझ में नहीं आता। आज भी पुलिस घर पर जाकर, वाइस चांसलर का स्टेटमेंट अखबारों में पढ़ा है . . .

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, मैं चाहता था कि सद्भावना कायम रहे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जी हां, सद्भावना कायम करने के लिये ही मैं कह रहा हूं। वाइस चांसलर का श्रीमन्, स्टेटमेंट देखिये। उसमें उन्होंने कहा है कि उनके अहाते में पुलिस पहुंच रही है, लड़कों को परेशान कर रही है और मारने पीटने की धमकी दे रही है। इस वातावरण को सुधारने की जरूरत है। वहां पर करफ्यू लगा है, दफा १४४ लगी हुई है। स्टूडेंट्स जो गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़ा जाय तब सद्भावना बनेगी और कमीशन के जज भी निश्चित तरीके से इन्क्वायरी कर पायेंगे। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो वायदा किया है, जो वचन दिया है उससे वह नहीं मुकरेंगे और उसको पूरा करेंगे और जुडीशियल इन्क्वायरी के बाद जो गिल्टी पाये जायंगे उनको सजा दी जायगी। इन शब्दों के साथ, मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री जी सब बातों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

(माननीय रामायण राय जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, मैं यह समझता हूं कि जब यह अपील हुई है कि इस पर विवाद न हो, तो उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में नहीं है। मैं इस अपील का स्वस्थ रूप बनाने के लिये निवेदन करना चाहता हूं। गोरखपुर में क्या हुआ, इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि किन्हीं परिस्थितियों के लिये हमारी प्रक्रिया नियमावली काफी व्यापक है। इसमें व्यवस्था की गई है कि यदि कोई सदस्य किसी संकल्प को वापस लेना चाहता है तो उसके लिये एक प्रक्रिया है और हम आशा करते थे कि उसी नियम के अन्तर्गत आज हम काम करेंगे। मुख्य मन्त्री जी ने कुछ रहस्यों की ओर संकेत किया और नेता विरोधी दल ने कुछ विवशताओं की ओर संकेत किया जिसको हम सदस्य उनसे जान लेंगे। आखिर हम लोगों ने उनको नेता बनाया है तो हमें उनके ऊपर विश्वास है कि आप लोगों ने जरूर ऐसी विवशताओं को सामने रखकर ही यह चीज हमारे सामने रखी है। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं कि जब रहस्य सामने रख दिया है तो बाहर क्या परिस्थिति पैदा होगी, इधर भी ध्यान देना चाहिये। हमारी नियमावली में व्यवस्था की गई है अगर कोई सदस्य प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये न, प्रस्ताव कोई सामने नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—श्रीमन्, या तो बहस एलाउ करें वर्ना मुख्य मन्त्री जी की अपील पर ध्यान रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—सदन के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। नियम ५३ के ऊपर चर्चा होनी थी। इसमें कोई प्रस्ताव नहीं रखा जाता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—आप इस पर विवाद एलाऊ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं?

श्री रामायणराय—देखिये, जहां सन्देह नहीं उठता है वहां अब उठने लगा है। श्री कल्पनाथसिंह जी का एक प्रस्ताव था....

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, मैं आप से अर्ज कर दूं। सुन लीजिये। सूचना एक आई और उसके ऊपर अध्यक्ष महोदय ने आज चर्चा करने की बात कही थी। लेकिन इस समय जो मुख्य मन्त्री जी ने अपील की और नेता विरोधी दल ने उसको दुहराया और दोनों तरफ से अपील हुई है कि इस पर चर्चा न की जाय तो इसमें वापस लेने की बात नहीं है।

श्री रामायणराय—जी नहीं, नियम ५३ के अन्तर्गत एक लोक महत्व का विषय था।

श्री उपाध्यक्ष—नियम ५३ में कोई मोशन नहीं होता। केवल चर्चा होती है। कोई प्रस्ताव नहीं रखा जाता है। प्रक्रिया नियमावली में साफ यह है कि "There shall be no formal motion before the House, nor Voting" न फार्मल मोशन होता है न वोटिंग होती है केवल चर्चा होती है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामायण राय जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बातचीत के दौरान में उनके दल के नेता माननीय गेंदासिंह भी थे। उन्होंने भी इस प्रश्न के ऊपर जिन दृष्टिकोण को जो मैंने उनके सामने प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार कर लिया था। उसी प्रकार का दृष्टिकोण विरोधीदल के नेता जी भी नेताओं के समक्ष प्रस्तुत किया था। अब सब ने जो चीज मान ली, तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस विषय को अब बढ़ायें नहीं, इसको अब यहीं खत्म किया जाय।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मुझे इस पर वक्तव्य नहीं देना है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस वातावरण को शुद्ध और शांतिप्रद वातावरण बनाने की नीयत से गोरखपुर में लगे हुये करफ्यू और दफा १४४ को हटा लिया है? यदि नहीं, तो कृपा करके दफा १४४ और करफ्यू को हटा लेंगे?

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। बहुत खुशी की बात है कि नेताओं ने इस मसले को हल कर लिया। भविष्य में जब कोई सवाल या संकल्प आयें तो नेता लोगों को निमन्त्रित कर लीजिये कमरे में, बहुत जल्दी हल कर लेते हैं, हम लोगों को भी आराम रहेगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—मैं प्रार्थना करता हूं कि इस वातावरण को शुद्ध और शांतिप्रद बनाने के लिये निश्चित ही दफा १४४ वहां से हटा लें।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लीजिये। हम लोगों ने—कल्पनाथसिंह, कैलाशसिंह और मैं भी था—दफा ५३ में सूचना दी थी। गुप्ता जी तो बहुत ऊंचे दरजे के नेता हैं, यह लोग भी ऊंचे ही हैं, इन लोगों को कहा क्या जाय, लेकिन बात यह है जो न्यायिक जांच कमीशन तय कर दिया है गुप्ता जी ने जांच करने के लिये, तो जांच करने के पहले डी० एम०, डी० आई० जी० और डी० वाई० एस० पी० यह लोग हटा दिये जायं क्योंकि इन लोगों ने वहां पर बहुत खतरनाक काम किया है। सरकारी पक्ष के लोग कहते हैं कि चीन का हमला हो गया, वातावरण दूषित हो जायगा। उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी सब जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, इस हुकूमत के खिलाफ वातावरण तैयार कर रहे हैं। उससे भय नहीं लगता, सदन में चर्चा होगी तो भय लगता है। चीनियों से लड़ने से पहले विद्यार्थियों

[श्री बांके लाल]

को गोली का शिकार बना देंगे? वही विद्यार्थी लड़ाई में भरती होंगे, हर तरह का पैसा और मदद देंगे। सब काम करने के पहले उनको गोली का शिकार बना दिया जाय? मेरी प्रार्थना है कि इस पर भले बहस न हो, नेता लोग मान लिये हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी इसकी चर्चा कर रहे हैं और किसानों में आवाज पहुंच चुकी है कि गोरखपुर में अन्याय हुआ है, गोलीकाण्ड हुआ है, तो उसपर यहां चर्चा होने में क्यों हुकूमत डरती है?

श्री उपाध्यक्ष—अब आप बैठ जायं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं बहुत थोड़े में। वह यह कि आज का जो सदन का वातावरण देख रहे हैं मुझे क्षमा करेंगे आप, मुझे यह नहीं मालूम पड़ता है कि यह सदन है। मुझे लगता है कि यह पंचायत हो रही है और आप श्रीमन, वहां बैठ के, कृपाकर के, इतना जरूर करें कि कानून की पाबन्दी करें अन्यथा यह पंचायत बनकर रह जायगा। जब एक चीज तय हो गई, उसके बाद फिर आपको किसी को एलाऊ करने की आवश्यकता नहीं थी। बिना मतलब के लिये फिर से आप कन्ट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। मुझे आप क्षमा करेंगे कि यह मैं आपके ऊपर अटैक कर रहा हूं। इस सदन को अगर पंचायत बनाना हो, तो बनाइये वरना इसे सदन बनाइये।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा, अब समाप्त होता है। माननीय मुख्य मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं और वह उस विषय में है जो माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी ने कही, कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस के सिलसिले में। अभी मैंने वह मंगाया है, क्योंकि एक दफा जब इलाहाबाद में गोलीकांड हुआ था तो ६ टर्म्स आफ रेफरेंस बनाया गया था, स्वतः मैंने अभी उसको देखा नहीं है लेकिन मैंने चीफ सेक्रेटरी से और एल० आर० से कहा था, जब यह आदेश दिया था कि इस प्रकार की कार्यवाही हो, तो उन्हीं से निवेदन कर दिया था कि इलाहाबाद का जैसा टर्म्स आफ रेफरेंस बनाया गया था उसी बुनियाद पर टर्म्स आफ रेफरेंस यहां का भी बना दें। उसकी प्रतिलिपि मैंने मंगा रखी है क्योंकि मैंने स्वतः उसको देखा नहीं है लेकिन मुझे बताया गया कि उसी बुनियाद पर, इलाहाबाद गोलीकांड में जो बुनियाद थी उसी बुनियाद पर, यहां का टर्म्स आफ रेफरेंस भी रखा गया है। यदि उसमें कोई भिन्नता है, कोई परिवर्तन है, कोई वह बातें नहीं आयी हैं कि जो बातें वहां रखी गयी थीं तो अवश्य मैं उसमें उस परिवर्तन को करने के लिये आदेश दूंगा जिसकी तरफ अभी हमारा ध्यान माननीय पांडेय जी ने खींचा है। बस, इस अवसर पर और अधिक मुझे नहीं कहना है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, माननीय मुख्य मन्त्री जी नेफा के बारे में प्रस्ताव रख दें।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री चन्द्रजीत यादव के खड़े होने पर) देखिये, फिर वही पंचायत वाली बात हो जायगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—पंचायत की बात नहीं है, श्रीमन्। मेरा निवेदन सुन लिया जाय।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा था, वह एक गम्भीर चीज थी, इस में कोई दो राय नहीं। सभी लोगों ने बैठकर के उसके ऊपर विचार किया। उन्होंने कुछ कुछ कारण बतलाये और उसके ऊपर विचार करते हुये यह उचित समझा गया कि वह बात विवाद का विषय यहां न बनायी जाय। लेकिन एक अनुरोध किया गया, प्रारम्भ में भी किया गया था फायरिंग के तत्काल बाद और आज भी माननीय झारखंडे राय जी ने सबेरे किया था कि जो स्थिति पैदा हो गई है उसमें इस जूडिशियल इंक्वायरी कमीशन के बैठने

के बाद भी छात्रों के अन्दर असन्तोष रहा है, पूरे सूबे के अन्दर हड़ताल हुई है और तमाम नेता लोग जाकर वहां देख आये हैं। अभी भी जनता को जो इस घटना के ऊपर खेद, क्षोभ और दुःख है वह बहुत गम्भीर है और उसी के ध्यान में रखते हुये माननीय मुख्य मन्त्री जी ने तत्काल कमीशन बैठाने की घोषणा की थी। लेकिन हमारा एक अनुरोध है, माननीय मुख्य मन्त्री जी से। यह सदन स्थगित हो रहा है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी बहुत आवश्यक कामों से जा रहे हैं प्रदेश के अन्दर और उनका जाना आवश्यक भी है। लेकिन एक अनुरोध यह भी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी समय निकालकर के स्वयं भी गोरखपुर जायं। वह वहां जाकर जनता से मिलेंगे, घायल छात्रों से मिलेंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे, तो उनके जाने से उनको सन्तोष हो जायगा। इसलिये एक दिन का समय वह सदन के बैठने के पूर्व अवश्य निकालेंगे और वहां जाकर उनको आश्वस्त करेंगे जिससे जो स्थिति वहां पैदा हो गई है उसमें सुधार हो जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वतः दूसरे दिन ही जाना चाहता था, लेकिन यहां सदन में ऐसा घिरा रहा कि यहां से उठने ही नहीं पाया और आज भी जाने की रही उत्सुकता लेकिन अब जो मैंने कार्यक्रम बनाया है उसमें मुझे एक और जरूरी कार्य से जाना पड़ रहा है जिसकी सूचना मैंने माननीय विरोधी दल के नेताओं को दी थी। अब देखूंगा कि उसमें से कोई दिन कट सकता है या नहीं। लेकिन मैं जाना पसन्द करूंगा और अवश्य जाना चाहूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यदि मैं दूसरी जगह चला गया और मैं समझता हूं कि मुझे उस जगह पर जाना चाहिये तो फिर मुझे क्षमा करेंगे कि मैं उसके बाद जाऊं क्योंकि यह मुझे तय करना है कि पहले उत्तर काशी, चमोली जाना चाहिये या गोरखपुर जाना चाहिये। और इस विषय में मैं समझता हूं कि इस सदन की सहानुभूति मेरे साथ होगी। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं गोरखपुर अवश्य जाऊंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि माननीय नेता सदन नेफा के बारे में प्रस्ताव, जो मैंने दिया है ११३(१) में उसे पेश करें। उस सिलसिले में सदन की भावना व्यक्त होनी चाहिये। श्रीमन्, वह बहुत जरूरी है और सब काम छोड़ कर उसे पेश होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—वह बाद में ले लिया जायगा।

रामपुर इंजीनियरिंग कम्पनी के कुछ मजदूरों की भूख हड़ताल के संबंध में श्रम मंत्री का वक्तव्य

श्रम उपमन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—उपाध्यक्ष महोदय, रामपुर इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन, रामपुर ने ३०-५-६२ को ४० मांगें रामपुर इंजीनियरिंग कं० लि० के प्रबन्धकों को दी। प्रबन्धकों ने आर्थिक कठिनाइयों के कारण इन मांगों को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की। विशेष मांग वेतन वृद्धि की थी। यूनियन ने जुलाई १६, १९६२ को पुनः प्रबन्धकों को सूचना दी कि यदि मांगें स्वीकृत नहीं की गयीं तो ३-८-६२ से भूख हड़ताल की जायगी। यूनियन को यह राय बारम्बार दी गयी कि नियमानुकूल मांगों की स्वीकृति हेतु कार्यवाही करें और इस बीच संराधन अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों में सुलह कराने का प्रयास जारी रहा। प्रबन्धकों द्वारा कोई उत्तर न मिल सकने के कारण, यूनियन ने पुनः ४-१०-६२ को प्रबन्धकों को लिखा कि १०-१०-६२ से भूख हड़ताल प्रारम्भ की जायेगी। इस बीच पुनः प्रयास किया गया कि दोनों पक्षों में सुलह हो जाये। दोनों पक्षों से वार्ता की गई। प्रबन्धक छः नया पैसा प्रति दिन वेतन-वृद्धि उन मजदूरों का जो १-५० नया पैसा से कम पाते थे, करने को तैयार थे परन्तु यूनियन ने इसे अस्वीकार कर दिया। प्रबन्धक यह भी चाहते थे कि यह समझौता तीन वर्ष तक लागू रहे। फलतः १०-१०-६२ को ५.१० शाम से ४ मजदूरों ने भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

यूनियन व प्रबन्धकों में फलतः समझौता हो गया है और १८-१०-६२ को यूनियन ने बिना शर्त के अपनी मांगें वापस ले ली हैं और भूख हड़ताल १८-१०-६२ को ८ बजे शाम से समाप्त हो गयी है। इस समझौते के अनुसार कुछ कर्मचारियों को १९-१०-६२ से वेतन-वृद्धि हुई है और भूखहड़ताल करने वाले श्रमिकों को पुनः काम पर वापस ले लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर कोई सवाल नहीं होगा। अब माननीय मुख्य मन्त्री जी नेफा के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

चीन द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के संबंध में प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव, विधान सभा के सदस्यों की ओर से इस सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं—

"विधान सभा के समस्त दलों के सदस्यगण हिमालय की हमारी पावन उत्तरी सीमा पर चीनी आक्रामकों द्वारा किये गये सर्वथा अनैतिक तथा बर्बरतापूर्ण आक्रमण की घोर भर्त्सना करते हैं।

हम सब भारत सरकार द्वारा उठाये गये सुरक्षा तथा आक्रमणकारियों को भारत भूमि से बाहर भगा देने के प्रयत्नों की सराहना करते हैं। सीमा सुरक्षा के लिये हम सब प्रत्येक प्रकार से भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला कर चलने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। पंचशील तथा सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों में विश्वास करने वाले किसी भी देश के लिये दूसरे देश की सीमा का अतिक्रमण अनैतिक ही नहीं निन्दनीय भी है।

अगणित कुर्बानियों के बाद प्राप्त की गयी स्वतन्त्रता की रक्षा हर कीमत पर करना हमारा धर्म है। हम सभी विचारधाराओं वाले व्यक्ति एकमत होकर यह घोषणा करते हैं कि इस अप्रत्याशित आक्रमण का हम डट कर विरोध करेंगे और अपने देश की रक्षा के लिये अपने रक्त की अन्तिम बूंद तक बलिदान करने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।"

उपाध्यक्ष जी, जहां तक इस प्रस्ताव के ऊपर विचारों को व्यक्त करने का विषय है, हम लोगों ने इसी प्रकार के विचार तिलक हाल में व्यक्त किये हैं। अब मैं फिर इस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करके सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि अन्य सदस्यगण और नेतागण भी इसी प्रकार के प्रस्ताव का समर्थन करके कदाचित अधिक समय इस सदन का नहीं लेंगे और इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसका हार्दिक समर्थन करता हूं। मैं केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि मैं स्वयं और मेरे दो लड़के जो मुझसे किसी हालत में कमजोर नहीं हैं और करीब-करीब मेरे ही ऐसे हैं, उनको अर्थात अपनी तीनों की सेवाओं को माननीय मुख्य मन्त्री जी को मैं अर्पित करता हूं। वह जिस स्थान पर और जब कभी भी उन सेवाओं की आवश्यकता हो और उचित समझें आज्ञा प्रदान करें, हम उसके लिये सदैव तत्पर हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विचार माननीय नेता सदन ने इस प्रस्ताव के द्वारा व्यक्त किये हैं हम उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हैं और यह आशा करते हैं कि आप इन विचारों को केन्द्रीय सरकार को और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भेजने की कृपा करेंगे। हम उन साथियों के प्रति भी जो कि हिमालय की चोटी पर लड़ते हुये वीरगति को प्राप्त हुये हैं और जिन्होंने देश के लिये अपनी जान दी है, उनको अपनी और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजली अर्पित करते हैं। उनके परिवार के लोगों के पास भी हम अपनी संवेदना आपके द्वारा पहुंचाते हैं। अन्त में मैं इस प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

(इस समय ४ बजकर १९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मेरी यह प्रार्थना है कि जब कभी भी मेरी या मेरे दल की सेवाओं की आवश्यकता हो तो हम हमेशा उसके लिये तैयार हैं। हम अपनी एक-एक इंच भूमि प्राप्त करने के लिये जो भी कर सकते हैं उसके करने के लिये कटिबद्ध हैं और सरकार को हमारे तथा दल की सेवायें अर्पित हैं।

श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और मैं आज केवल एक ही बात कहूंगा। मुझे इस प्रस्ताव के विषय में जो कहना था वह मैं तिलक हाल में कह चुका हूं। जहांतक जनसंघ के दृष्टिकोण का सवाल है वह आज हम लोगों के सम्मुख है कि विदेशी शत्रु से आज हम सब लोग एक होकर के लड़ेंगे। उस वातावरण के लिये, जिस सद्भावना की आवश्यकता होगी उसके लिये भी, हम सब कटिबद्ध हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो सद्भावना का दृष्टिकोण जनसंघ के प्रति बरता है और ग्रामवीरों को छोड़ दिया है वह भी एक इसी दिशा में कदम है।

मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात माननीय मुख्य मन्त्री जी से और कहूंगा जोकि उनके कमरे में अभी उनसे मैंने कही थी। वह यह कि मेरे जैसे आदमी को यदि सेना में कहीं भी गुंजाइश हो तो मैं जाने के लिये सदैव तत्पर हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं एक्टिव ड्यूटी के लिये हर समय तैयार हूं और इसके लिये प्रधान मन्त्री जी से मेरी ओर से वे प्रार्थना करें कि मैं और जनसंघ के लोग सदैव सेना में जाने के लिये तत्पर हैं। देश को जिस प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता हो हम सब उसके लिये अपने को समर्पित करते हैं।

मैं इतना और निवेदन करूंगा कि हमारे मित्रगण हंस रहे हैं। परन्तु उनको मालूम होना चाहिये कि इंग्लैंड में ८० वर्ष के बूढ़े ने भी नेशनल गार्ड में लड़ाई लड़ी थी। हमारे बहुत से मित्र तो यह भी नहीं जानते हैं कि बन्दूक की नली और बड्ड किधर होता है। उसके साथ ही वह यह भी नहीं जानते हैं कि शत्रु से कैसे लड़ा जाता है। अन्त में यही कहकर समाप्त करूंगा कि हम सब के लिये हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी के जैसे भी आदेश हों उन सब को मानने के लिये हम तत्पर हैं। उसके लिये जिस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता हो वह प्राप्त करके देश को संकट काल से बचाने के लिये उसका उपयोग करके हम सदैव अपनी सेवायें देने के लिये तैयार हैं।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। यह सवाल ऐसा है जिसमें सचमुच माननीय श्रीपाल सिंह ने जो उदाहरण उपस्थित किया उसी तरह से उपस्थित करना भाषण से कुछ ज्यादा जरूरी मालूम होता है। और मैं समझता हूं कि अगर कहीं युद्ध हुआ, जैसा कि बादल मंडला रहा है तो यह पांचवां वार हिन्दुस्तान के लिये होगी और वह कोई एक दो आदमी के लिये युद्ध न होगा यह हिन्दुस्तान की जमीन पर पैदा हुए एक एक बच्चे की तरफ से होगा और एक एक बच्चा, बूढ़ा, जवान, वह चाहे फौज के लायक हो, चाहे घास गढ़ने के लायक हो या अन्न उत्पन्न करने के लायक हो उस सबका युद्ध है, इसमें कहीं भी दो रायें नहीं हो सकतीं। माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात कहता हूं कि नेहरू जी के जीवन में ही यह युद्ध भी आया और चीन से, इससे ज्यादा भूल जो चीन ने की वह कोई कर नहीं सकता। उस भूल का शीघ्र ही उसको सबक मिलेगा। इस आशा से हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में ही चीन को होश आयेगा और वह समझेगा कि हिन्दुस्तान के साथ छेड़खानी करना मुनासिब नहीं है।

***श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव नेता सदन ने रखा है, मेरे ख्याल से क्या इस सदन के अन्दर, क्या बाहर, कोई भी व्यक्ति जो अपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राघवेन्द्र प्रतापसिंह]

आपको भारतवर्ष का नागरिक कहेगा, भारतमाता की भक्ति जिसके हृदय में है, इसका विरोध नहीं करेगा, समर्थन करेगा । मैं दो एक सुझाव माननीय मुख्य मंत्री और सरकार को देना चाहता हूं । आप जानते हैं कि मैं एक ऐसे जिले का रहने वाला हूं जो बिलकुल सरहद पर है । आज गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच जो जिले हैं जहाँ पर आतंक पहले पहल आ सकता है—भगवान न करे—तो हमें तैयारी करनी चाहिये—होमगार्ड्स को आर्गेनाइज करें और गोरिल्ला वारफेयर के लिये उनको भी आर्म्ड करें ताकि वह वक्त जरूरत पर आपकी मदद कर सकें । साथ ही हमारी सरकार को संगठित रूप से सब दलों की राय लेकर इस आतंक के समय, हर कदम उठाना चाहिये और केन्द्रीय सरकार तक इस बात की हमें आवाज पहुंचानी चाहिये कि हमारे जो पुराने वयोवृद्ध मिलिटरी के जनरल लोग रिटायर्ड हैं उनकी सेवाएं प्राप्त करें और जैसे कि प्लानिंग कमीशन काम कर रहा है हमारे देश में उसी तरह से वार कमीशन या डिफेंस कमीशन बनना चाहिये । जो भी एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हों, सैनिक जनरल्स और एडमिरल रह चुके हों, कुछ राजनीतिक नेता भी ऐसे हैं जिनको बहुत तजुर्बा है, उन सब की सेवाएं हमें प्राप्त करनी चाहिये और लड़ाई का पोर्टफोलियो, जो डिफेंस का है वह, प्रधान मंत्री को अपने हाथ में रखना चाहिये ताकि लोगों का विश्वास उनके पीछे रहे और सेवा करने में भी पीछे न रहें ।

जहाँ तक अपनी निजी सेवाओं को अर्पण करने का सवाल है, हमारे साथियों ने अपनी सेवाएं अर्पण की हैं । मेरे ऐसे सिपाही जायेंगे तो भगवान ही पार करेगा—यह शरीर और देह लेकर—लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि हमारी स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किस वातावरण में हुई । जब हिन्दुस्तान के अन्दर कम्युनिज्म पैदा हो रहा था और जो मौजूदा सरकार थी वह कम्युनिस्ट मनोवृत्ति पर जा रही थी, उस आधार पर बनी थी । तो हमारी तो एक एक बच्चा यह विश्वास रखने वाला है और ऐसी हालत में जब कि बाहरी कम्युनिज्म आने वाला है उसके लिये अपने प्राण और रक्त बराबर उसके लिये आहुति देने के लिये तैयार रहेगा और हम लोग, जो सेनानी हैं, उनकी सेवाओं के लिये हमेशा तैयार हैं और रहेंगे । मैं समझता हूं कि जो मैंने छोटे-छोटे सुझाव दिये हैं उनको इस प्रस्ताव के साथ केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया जाय क्योंकि उन जिलों में, जहाँ का अभी मैंने नाम लिया, लोगों का मोरेल ऊंचा करना है, उन लोगों को इस योग्य बनाना है कि अवसर आने पर वे दुश्मनों का मुकाबला कर सकें क्योंकि वे जिले नेपाल की सरहद पर हैं ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता सदन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का हृदय से और अन्तरस्थल से समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रीय संकट का एक ऐसा अवसर है जो केवल आजादी के बाद नहीं बल्कि हमारे देश के इतिहास में पहले कभी नहीं आया । हिमालय की ऊंची से ऊंची चोटी पर युद्ध घोष हो जाय, ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ । खैबर और बोलन आदि दर्रों की चर्चा कुछ इतिहास में मिलती है, मगर हिमालय की चोटी पर कभी युद्ध होगा इसका अनुमान न था । आज ऐसी स्थिति में सारा राष्ट्र अपने मन, वचन और कर्म से पंडित नेहरू की विदेश नीति और सुरक्षा नीति के साथ है । कम्युनिस्ट पार्टी, सारे संसार को जान लेना चाहिये, आज जनता की भावनाओं के साथ है और हम अपनी जिन्दगी की आखरी सांस तक, खून की एक एक बूंद, अपने देश की रक्षा के लिये दे देंगे और मर मिटेंगे ।

मान्यवर, जिन्दगी की जवानी का बहुत समय, सुनहले दिन, अंग्रेजों के खिलाफ, देश को आजाद कराने के लिये, जेल खाने में बीते और अगर आज जिन्दगी के यह बाकी दिन देश को विदेशी आक्रमण से बचाने तथा उसकी रक्षा में बीत जाय तो उससे मुझे बड़ी खुशी होगी । मैं समझता हूं कि इस समय हमको, सबको, अपने सभी भेदभाव भुलाकर, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, एक होकर पंडित नेहरू की विदेश नीति तथा सुरक्षा नीति के साथ होकर अपनी

अपना कार्य करना है और यही हमारा परम पवित्र राष्ट्रीय कर्त्तव्य है । इस समय में यह अपील करूंगा—अंग्रेजी में कहते हैं—" "Political utilization of National crisis." यानी राष्ट्रीय संकट के समय हमें अपने किसी राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति की कुचेष्टा नहीं करनी चाहिये । इस समय सारा देश एक है । समाचार पत्रों में जो देश के कोने-कोने से खबरें आ रही हैं और एकता का वातावरण आज व्याप्त है हम सब उसके साथ हैं । मुझे आशा है कि हमारा देश मिलकर तथा दूसरे देशों की भावनायें उन लोगों को हमारी पवित्र भूमि से पीछे हट जाने के लिये मजबूर करेंगी और वे यह सोचेंगे कि एक पड़ोसी को मित्र तथा शांतिप्रिय पड़ोसी के साथ किस तरह से रहा जाता है । उन शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सारा प्रदेश इस प्रस्ताव के पीछे अवश्यमेव खड़ा होगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया है मैं हृदय से, तन मन धन से, उसका समर्थन करता हूं और हमारे दल के जितने साथी हैं वे हर समय, हर सेवा के लिये माननीय मुख्य मंत्री की सेवा में उपस्थित हैं । जो भी वे आदेश देंगे उसका हम पालन करेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे । हमारे दल के एक सदस्य श्री मायर जी ने, आपको मालूम है, जब तक यह युद्ध रहेगा और चीनी देश के बाहर नहीं जाते, सारी तनख्वाह समर्पित कर दी है । यदि प्राण तक भी देने की आवश्यकता हुई तो उसे मैं अपने देश के लिये देने को तैयार हूं । इसके अलावा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमलोग अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां जनता में जाकर प्रचार करेंगे और आप इसका प्रयास करें कि पी० आर० डी० का संगठन आदि होना चाहिये । इसके लिये सरकार की तरफ से एक सरक्यूलर भेज दिया जाय ताकि गांव गांव में वार फुटिंग पर होम गार्ड और पी० आर० डी० का संगठन करने में सबका सहयोग प्राप्त किया जा सके । सारी चीजें हमें वार फुटिंग पर शुरू कर देनी है जैसा कि भारत सरकार का विचार है । इन शब्दों के साथ, मैं अपने दल की तरफ से इस प्रस्ताव का हृदय से स्वागत करता हूं ।

कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से तथा अपने क्षेत्र की जनता की ओर से इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये और अपनी मातृभूमि की एक-एक इंच भूमि की रक्षा के लिये मैं अपना तन, मन और धन सब कुछ अर्पित करता हूं ।

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है उसका मैं अपने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं और साथ ही साथ हार्दिक समर्थन करता हूं । सदन में कोई दो रायें नहीं हैं कि चीन का यह आक्रमण कोई मामूली आक्रमण नहीं है । उसकी नीति केवल हमारी सीमा से लगी हुई चौकियों को हथियाने की बात है, बल्कि चीन ने बहुत सोच समझ कर एक विशेष प्रोग्राम को लेकर हमारे देश पर आक्रमण किया है । आज हमारी सीमा पर जो आक्रमण हुआ है उसे हम अपने देश पर आक्रमण समझते हैं और ऐसी हालत में हमें अपने देश में बहुत बड़े संयम और बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता है । मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत सरकार के बड़े-बड़े नेताओं ने इस देश की रक्षा के लिये जो कदम बढ़ाया है, उसमें माननीय मुख्य मंत्री का भी यह एक प्रयास है कि वे अपने इस प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे सभी दल के लोग मिल कर अपनी एक ऐसी नीति निर्धारित करें जिससे चीन का मुकाबला किया जा सके । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी रिपब्लिकन पार्टी में २५–३० वर्ष तक के सदस्य हैं और यदि भारत और चीन के युद्ध में हमारी सेवा की जरूरत है तो उसे हम देने के लिये सहर्ष तैयार हैं । हमारी पार्टी ने तो मुझे युद्ध में जाने की इजाजत दे भी दी है । यदि ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो मैं यह एलान करता हूं कि मैं स्वतः नेफा या जहां भी जाने के लिये उपयुक्त आदेश मिलेगा, आदेश मिलते ही चीन से लड़ने के लिये चला जाऊंगा ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो माननीय नेता सदन ने माननीय सदन के सम्मुख चीन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करते हुए और उसका हृदय से स्वागत करता हूं और जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं । जिन परिस्थितियों में एक शांतिपूर्ण देश पर चीन ने आक्रमण किया है, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो कि अधिक समय तक कायम नहीं रह सकती, इसे समाप्त होना ही पड़ेगा । आक्रमण ही नहीं, चीन ने एक बहुत बड़ा विश्वासघात हमारे साथ किया है और दोस्त कह कर दोस्ती के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक लगाया है जब कि हिन्दुस्तान ने सर्वप्रथम उसकी आजादी के बाद उसे मान्यता दी थी । मैं अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन स्थितियों में चीन ने भारतवर्ष पर हमला किया है उनको देखते हुए देश का कोई भी स्त्री पुरुष चीन की इस गिरी हुई कारगुजारी के पक्ष में नहीं है और देश के चप्पे चप्पे पर हर व्यक्ति अन्तिम सांस तक लड़ेगा और जब तक इन रगों में खून चलता रहेगा उसका मुकाबला करता रहेगा । भारतमाता की रक्षा के लिये हम भारतीय कदम कदम पर अपने प्राणों की बलिवेदी पर चढ़ाने के लिये तैयार हैं । व्यक्तिगत तथा दल की ओर से मैं मुख्य मंत्री जी को आश्वासन देता हूं कि हमारे सभी निर्दलीय सदस्य उनके साथ हैं और मुझे जब भी और जिस समय आज्ञा जिस कार्य के लिये दी जायगी, जो भी जिम्मेदारी सौंपी जायगी, मैं सहर्ष उसे संभालने को तैयार हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—मैंने प्रस्ताव लिख कर दिया था । दो मिनट मुझे भी मिल जाते ।

श्री अध्यक्ष—नेता सब बोल चुके हैं । अब अलग अलग बोलने की जरूरत शायद नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—आपने कहा कि नेता लोग बोल चुके हैं लेकिन कल माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा कि आज बैकबेंचर्स का डे है, तो क्या बैकबेंचर्स को रिमूवल के प्रस्ताव पर ही बोलने का मौका मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष—यह मतलब नहीं है । मेरा ख्याल यह था कि नेता लोग बोल चुके हैं, अगर सबकी राय है बोलने की, तो बोलिये, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिये । आप लोग बोलते रहें और सदन में बातें हों तो न यह हमारी शोभा है, न आपकी शोभा है और न यह गर्व की बात है । मेरे ख्याल में सब नेता बोल चुके हैं, माननीय नेता सदन बोल लें और मैं आप सबकी तरफ से बोलूं तो ठीक रहेगा ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं उन भावनाओं का स्वागत करता हूं जो इस सदन में उधर बैठने वाले नेताओं के द्वारा और अन्य साथियों के द्वारा अभी प्रकट की गयी हैं । मैं उन सब नेताओं और साथियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस अवसर पर तमाम बातों को दूर रख दिया है और इस बात की घोषणा की है कि वे प्रत्येक प्रयास में सहयोग प्रदान करेंगे, जो उस दुश्मन को जिसने बेईमानी और धोखे से हमारी जमीन पर कब्जा किया है, उसको हटाने में, इस देश से दूर करने में किया जायेगा । मैं उन साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने अपने दल की ओर से प्रधान मंत्री को पूरा-पूरा उनकी नीतियों के संबंध में जो इस दुश्मन को भारत की भूमि से हटाने के विषय में अपनाई जा रही है, समर्थन करने का वचन दिया है । मैं मायर जी को जिन्होंने अभी इस बात की घोषणा की है कि वे पहली अक्तूबर से जब तक युद्ध चलता रहेगा अपना जो उन्हें अलाउंस मिलता है, नहीं लेंगे और लड़ाई के कार्य में लगायेंगे । मैं अपने इस सब कांग्रेस के साथियों की तरफ से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये साथी जो सदा अपने नेता के आदेश के पीछे चले हैं और आजादी की लड़ाई के जमाने में उन्होंने उस नेता का साथ दिया है और आज जब बुढ़ापे में वह नेता देश की आजादी को कायम रखने के लिये और देश की पवित्र भूमि को उनसे छीनने के लिये जिन्होंने जबरदस्ती से उस पर कब्जा

किया है तो वे उसी प्रकार से उसके नेतृत्व में चलने के लिये उद्यत हैं और बराबर उद्यत रहेंगे और प्रत्येक उस प्रकार की कुरबानी करने के लिये उद्यत रहेंगे जिसे करने के लिये वह नेता उन्हें आदेश देगा।

जहां मैंने यह प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, क्या नम्रता से मैं यह निवेदन कर सकता हूं, यद्यपि मैंने नेताओं से उस विषय में परामर्श नहीं किया है परन्तु मैं ऐसा मानता हूं कि वह ऐसा कोई कठिन विषय नहीं है कि जिसमें नेतागण या उसके साथी कोई विपरीत मत रखें, कि मेरे इस प्रस्ताव के साथ-साथ यह भी जोड़ दिया जाय जैसा कि और सदनों में सदस्यों ने किया है कि आज उन बहादुर सिपाहियों के परिवारों के लिये और स्वतः उनको प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न क्षेत्रों से धनराशियां इकट्ठी हो रही हैं तो क्या हम सदस्यगण यह निर्णय नहीं लेंगे कि हम भी कम से कम अपनी दस रोज की तनख्वाह उस कार्य के लिये दें चाहे हम सदस्य हैं या मंत्रिपरिषद् में हैं। अगर हम में से प्रत्येक इस पर विचार करने के लिये उद्यत हो तो मैं प्रस्ताव के साथ यह अपील भी प्रस्तुत कर दूं।

कुंवर श्रीपालसिंह—यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी को आपत्ति न हो तो इसमें मैं एक संशोधन करना चाहता हूं। १० दिन की बात जो आपने रखी वह जरा हिसाब में ठीक नहीं बैठती, १५ दिन कर दें तो पूरा सौ रुपया हो जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे इस संशोधन के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं आप के सामने जो प्रस्ताव पढ़ा गया है उसको प्रस्तुत कर दूं। इतना निवेदन कर दूं कि इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है। बजाय इसके कि 'समस्त राजनीतिक दल' शब्दों का प्रयोग करने के मैंने लिखा है 'यह सदन'। पूरे सदन की तरफ से यह प्रस्ताव हो। एक बात मैं और कह दूं कि माननीय राघवेन्द्र प्रताप जी ने कहा कि अगर मेरे जैसे सिपाही जायंगे तो कैसे होगा.....

श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह—मैंने फ्रन्ट पर लड़ने के लिये कहा था। वैसे तो सेवा करने के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं तो आज यह सोचता हूं कि चाहे हमारे बालकों की मुलायम हड्डियां हों और चाहे बुड्ढों की जकड़ी हुई हड्डियां हों, आज सब में उस यौवन का संचार होना चाहिये कि हर तरीके से, जहां आवश्यक हो हमें इस्तेमाल किया जाय।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता था वह यह कि हम चाहते हैं कि लखनऊ में ऐसा प्रबन्ध किया जाय—मेरा मुख्य मन्त्री जी से निवेदन है—कि जब हम अपने रक्त की एक एक बूंद देने के लिए तैयार हैं तो एक रक्त कोष का प्रबन्ध हो, जहां हम अपना रक्त दें। तो जहां हम आर्थिक सहायता देने के लिये तैयार हुए हैं १५ दिन की, तो हम खून देने के लिये भी तैयार हैं। इसका प्रबन्ध होना चाहिये कि हम रक्त कोष में अपना रक्त जमा कर सकें।

श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह—इस काम के लिये जरूरत पड़ेगी तो हम तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन हिमालय की हमारी पावन उत्तरी सीमा पर चीनी आक्रामकों द्वारा किये गये सर्वथा अनैतिक तथा बर्बरतापूर्ण आक्रमण की घोर भर्त्सना करता है।

यह सदन भारत सरकार द्वारा उठाये गये सुरक्षा तथा आक्रामकों को भारत भूमि से बाहर भगा देने की प्रयत्नों की सराहना करता है। सीमा सुरक्षा के लिये हम सब प्रत्येक प्रकार से भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला कर चलने के लिये दृढ़-प्रतिज्ञ हैं।

पंचशील तथा सह अस्तित्व के सिद्धान्तों में विश्वास करने वाले, किसी भी देश के लिये दूसरे देश की सीमा का अतिक्रमण अनैतिक ही नहीं, निन्दनीय है।

[श्री अध्यक्ष]

अगणित कुर्बानियों के बाद प्राप्त की गई स्वतंत्रता की रक्षा हर कीमत पर करना हमारा धर्म है। यह सदन यह घोषणा करता है कि इस अप्रत्याशित आक्रमण का हम डट कर विरोध करेंगे और अपने देश की सुरक्षा के लिये अपने रक्त की अंतिम बूंद तक बलिदान करने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट तथा मद्यनिषेध बोर्ड के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक सूचना और आप के सामने देनी है।

विधान सभा का अधिवेशन चूंकि आज ही समाप्त हो रहा है। अतः लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट तथा उत्तर प्रदेश मद्य निषेध बोर्ड की नामजदगी वापस लेने की तिथि दिनांक २५-१०-१९६२ से बढ़ा कर ३-११-१९६२ को ५ बजे तक की जाती है।

चीन द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के संबंध में प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—अध्यक्ष महोदय, १५ दिन के वेतन के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—मैं उस पर भी राय ले लेता हूं। प्रश्न यह है कि जो आप के सामने पहले मूल प्रस्ताव आया है उसके अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय। "यह सदन यह निश्चय करता है कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य एक मास का अपने मासिक वेतन का अर्द्धांश इस युद्ध के कार्य के लिये समर्पित करता है और अपनी इस धनराशि को माननीय मुख्य मन्त्री जी को दे देगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव पास हो गया। अब किस प्रकार से होगा इसे मुख्य मन्त्री जी से मिल कर नेतागण तय कर दें।

अब कार्य समाप्त हुआ। अब हम उठते हैं और १ नवम्बर, १९६२ को साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ५३ मिनट पर वृहस्पतिवार, १ नवम्बर, १९६२ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
२४ अक्तूबर, १९६२।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९९ पर)

फाइलेरिया विभाग के अन्तर्गत वाराणसी में नियुक्त स्टाफ का वेतन-क्रम एवं उनकी संख्या

क्रम-संख्या	पद	संख्या	वेतन-क्रम
१	फाइलेरिया कन्ट्रोल आफिसर	१	२५०–२५–३००–२५–४००–ई० बी० ३०–७०० ई० बी० –५०–८५० रु० के स्केल में ।
२	असिस्टेंट इन्टोमालोजिस्ट ..	१	२००–१०–२५०–ई० बी० –१०–३१०– ई० बी० –१४–४५० रु० ।
३	फाइलेरिया इन्सपेक्टर ..	२	१२०–५–१५० ई० बी० ७ १/२–२१० रु०
४	स्टेनोग्राफर ..	१	७५–४–९५ ई० बी० –५–१५० रु०
५	क्लर्क	१	६०–३–९०–ई० बी०– ४–११० रु०
६	ड्राइवर-कम-मेकैनिक ..	२	४५–२–६५ रु०
७	इन्सेक्ट कलेक्टर	४	३०–३–४५–ई० बी०–३–६० रु०
८	आर्डरली	२	२७–१/२–३२ रु०
९	चौकीदार	१	२७–१/२–३२ रु०
१०	चपरासी	१	२७–१/२–३२ रु०
११	सुपीरियर फील्ड वर्कर ..	१३	दैनिक मजदूरी २ रु० प्रति दिन
१२	फील्ड वर्कर ..	२७	दैनिक मजदूरी १–५० रु० प्रति दिन

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २२३ एल० ए०—१९६३—८०३ ।